इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2019—आश्विन 19, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2019

क्र. ई-1-325-2018-5-एक .—नीचे तालिका के खाना (2) में उल्लिखित अधिकारीगण, जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2019-AIS (I)-B, दिनांक 4 सितम्बर 2019 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना(3) में दर्शाए राज्य प्रशासनिक सेवा के संवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 4 सितम्बर 2019 से भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के उसी पद पर पदस्थ घोषित किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री सुभाष कुमार द्विवेदी	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
2	श्री धरणेन्द्र कुमार जैन	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

(1)	(2)	(3)
3	श्री अरविन्द कुमार दुबे	उपसचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय
4	श्री तरूण भटनागर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना

(2) नीचे तालिका के खाना (2) में उल्लिखित अधिकारीगण, जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2019-AIS (I)-B, दिनांक 4 सितम्बर 2019 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना (3) में दर्शाए राप्रसे संवर्ग के असंवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 4 सितम्बर 2019 से उक्त असंवर्गीय पदों को उक्त अधिकारियों के इन पदों पर पदस्थ रहने की तिथि तक, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित खाना (4) में दर्शाये गये संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करते हुए नीचे तालिका के खाना (3) में अंकित पदों पर पदस्थ घोषित किया जाता है :—

तालिका

क्रमांक	अधिकारी का नाम	भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक को धारित असंवर्गीय पद का नाम	भाप्रसे संवर्ग में शामिल पद का नाम जिसके समकक्ष घोषित किया जाता है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री वीरेन्द्र कुमार	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
2	श्री अवधेश शर्मा	महाप्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
3	श्री कुमार पुरूषोत्तम	प्रबंध संचालक, ए.के.व्ही.एन., इन्दौर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
4	श्री रत्नाकर झा	मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क विकास निगम, भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
5	श्री कृष्णदेव त्रिपाठी	अपर कलेक्टर, होशंगाबाद	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
6	श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी	अपर कलेक्टर, देवास	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.

क्र. ई-1-390-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती सूफिया फारूकी वली (2009), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्री अभिजीत अग्रवाल (2010), संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए).	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
3	श्री अंकित अस्थाना (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, बड़वानी.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उमरिया.	—

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती सूफिया फारूकी वली द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मुकेश कुमार शुक्ला, भाप्रसे (2003), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग एवं आयुक्त-सह-संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2019

क्र. ई-1-391-2019-5-एक.—श्री संजय कुमार शुक्ला, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री संजय कुमार शुक्ला द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग एवं जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम, केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम के प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2019

क्र. ई-5-481-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री इकबाल सिंह बैंस, आयएएस., अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को दिनांक 12 से 16 सितम्बर 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल सिंह बैंस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी तथा अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैंस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैंस, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-576-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. राजेश राजौरा, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 24 अगस्त 2019 द्वारा दिनांक 16 से 24 सितम्बर 2019 तक, नौ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15 सितम्बर 2019 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 16 से 20 सितम्बर 2019 तक, पांच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15 सितम्बर 2019 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है.

(2) डॉ. राजेश राजौरा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग प्रवासी भारतीय विभाग तथा योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेश राजौरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. राजेश राजौरा द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. राजेश राजौरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेश राजौरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-791-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री निशांत वरवड़े, आयएएस., आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 14 से 18 अक्टूबर 2019 तक पांच दिन एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 एवं 19, 20 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री निशांत वरवड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री निशांत वरवड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निशांत वरवड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-932-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. कार्तिकेयन, आयएएस., कलेक्टर, जिला डिण्डौरी को दिनांक 24 से 30 सितम्बर 2019 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री बी. कार्तिकेयन की अवकाश अवधि में श्री रमेश कुमार सिंह, राप्रसे, संयुक्त कलेक्टर, जिला डिण्डौरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला डिण्डौरी का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. कार्तिकेयन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला डिण्डौरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री बी. कार्तिकेयन द्वारा कलेक्टर, जिला डिण्डौरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रमेश कुमार सिंह, राप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री बी. कार्तिकेयन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. कार्तिकेयन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2019

क्र. ई-1-369-2019-5-एक.—श्री नीतेश कुमार व्यास, भाप्रसे (1996), आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार नीतेश कुमार व्यास द्वारा आयुक्त खाद्य सुरक्षा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रवीन्द्र सिंह भाप्रसे (2004), नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं संचालक, खाद्य सुरक्षा केवल संचालक, खाद्य सुरक्षा के प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई-5-837-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल को समसंख्यक आदेश, दिनांक 3 अगस्त 2019 द्वारा दिनांक 20 अगस्त से 3 सितम्बर 2019 तक, पन्द्रह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, उक्त आदेश के अनुक्रम में अब, उन्हें, दिनांक 4 से 13 सितम्बर 2019 तक, दस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अगस्त 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2019

क्र. ई-5-892-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष सिंह, आयएएस., आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर को दिनांक 22 से 23 सितम्बर 2019 तक, दो दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2019

क्र. ई.-5-1040-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर को दिनांक 16 से 25 सितम्बर 2019 तक, दस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अंशुल गुप्ता, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंशुल गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहंती, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2019

क्र. ई-5-858-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विकास नरवाल, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी, लिमिटेड, इन्दौर को दिनांक 9 से 12 सितम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 13 सितम्बर 2019 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विकास नरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी, लिमिटेड, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विकास नरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास नरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव (कार्मिक).

Bhopal, the 7th September 2019

No.E-13-37-2019-5-One.—Shri I.C.P. Keshri, IAS (MP : 1988), OSD-cum-Residential Commissioner Madhya Pradesh, Bhawan, New Delhi is granted permission to participate in the lecturs-seriese in connection with the work done on domestic electrification and lighting scheme organized by the Indian Consulate General in New York and the Centre for Strategic and International Studies (CSIS) in New York in the United States on 26th and 27th September 2019. Also in the sequence of the above said foreign stay. ex-India casual leave from 28th to 30th September 2019 (03 days) is also sanctioned.

Shri I.C.P. Keshri has to seek political clearance and FCRA clearance.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARCHNA SOLANKI, Dy. Secy. (Personnel).

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2019

फा. क्र. 4869-2019-इक्कीस-ब (एक).—न्यायिक सेवा के सदस्य श्री नवनीत सिंह यादव, तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 शाहपुरा, जिला डिण्डौरी निलंबन अवधि में वर्तमान मुख्यालय, डिण्डौरी के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके द्वारा कदाचरण प्रमाणित पाये जाने पर प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 29 अगस्त 2019 एवं फुल कोर्ट मीटिंग (By Circulation) दिनांक 4 सितम्बर 2019 में लिए गए निर्णय के फलस्वरूप मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पृथक् (Removal from Service) किये जाने की अनुशंसा की है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरान्त मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए, राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री नवनीत सिंह यादव, तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, शाहपुरा ,जिला डिण्डौरी निलंबन अवधि में वर्तमान मुख्यालय, डिण्डौरी को शास्तिस्वरूप सेवा से पृथक् (Removal from Service) किया जाए.

अतः, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (8) के प्रावधानों के अनुसार, एतद्द्वारा, राज्य शासन, श्री नवनीत सिंह यादव, तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, शाहपुरा, जिला डिण्डौरी निलंबन अवधि में वर्तमान मुख्यालय, डिण्डौरी को दीर्घ शास्ति स्वरूप उक्त पद से (सेवा से) पृथक् (Removal from Service) करता है, किन्तु वे भविष्य में किसी अन्य सेवा के लिए अपात्र नहीं होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2019

फा. क्र. 1 (सी) 5052-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला सतना के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचर निवारण) नियम, 1995 के नियम 4(1) के अंतर्गत श्री रमाकांत त्रिपाठी (नामांकन क्र. एम. पी./1315/2006) को विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है. श्री रमाकांत त्रिपाठी की उक्त विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 4 मार्च 1980 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

श्री रमाकांत त्रिपाठी, को ऐसे विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी) एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (01) अनुसूचित जातियों का कल्याण (800)-अन्य व्यय-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना (सबस्कीम) योजना (5171)-विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

श्री रमाकांत त्रिपाठी, विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता, सतना को विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु, कार्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवंटित किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्र. एफ-15-01-2019-दो-ए (3).—भारत की जनगणना 2021 से संबद्ध राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) तैयार करने एवं उसे अद्यतन करने की केन्द्र सरकार के निर्णय की घोषणा संबंधी भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जारी निम्नानुसार अधिसूचना को मध्यप्रदेश के राजपत्र में पुनः प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष भार्गव, उपसचिव.

गृह मंत्रालय
(भारत के महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण का कार्यालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई 2019

का. आ. 2753 (अ).—नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचानपत्रों का जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 के उप नियम (4) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और उसे अद्यतन करने का निर्णय लेती है तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए, असम के अलावा देशभर में घर-घर जाकर गणना करने संबंधी फील्ड कार्य 01 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होकर 30 सितम्बर 2020 की अवधि में किया जायेगा.

[फार्म सं. 9/5/2019-सीआरडी (एनपीआर)]
विवेक जोशी, नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार.

DEPARTMENT OF HOME (GENERAL)
Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal

Bhopal the 30th September 2019

F.No.F-15-01/2019-2A(3).—The following notification by Registrar General and Census Commissioner of India, regarding the declaration of intention of Central Government to prepare and update National Population Register (NPR) in connection with Census of India 2021 is hereby republished.

By order and in the name of Governor
of Madhya Pradesh,
ASHISH BHARGAVA, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL
CITIZEN REGISTRATION, INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July 2019

S.O. 2753 (E).—In pursuance of sub-rule(4) of rule 3 of the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003, the Central Government hereby decides to prepare and update the Population Register and the field work for house to house enumeration throughout the country except Assam for collection of information relating to all persons who are usually residing within the jurisdiction of Local Registrar shall be undertaken between the lst day of April 2020 to 30th September 2020.

[F.No.9/5/2019 - CRD(NPR]
VIVEK JOSHI, Registrar General Of Citizen Registration.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2019

क्र. 1409-1195-2019-ए-ग्यारह.—बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स एनटीपीसी लि., विंध्यानगर जिला-सिंगरौली, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4656 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के प्रवर्तन से दिनांक 26 सितम्बर 2019 से 25 फरवरी 2020 तक की छूट प्रदान करता है:—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

आदेश दिया जाता है कि इसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2019

क्रमांक/एफ–25–54/2019/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का सं. 16) की धारा–34(अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसुची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र जिसें इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक /9-X/58 दिनांक 10 जुलाई 1958 द्वारा संरक्षित वन कें रूप में घोषित किया गया था मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से निम्न अनुसूची में दर्शित भू–खण्ड संरक्षित वन नही रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी।

अनुसुची

जिला :– होशंगाबाद तहसील – इटारसी
वनमंडल :– होशंगाबाद वन परिक्षेत्र– इटारसी

अ. क्र.	वनखण्ड का नाम	वन कक्ष का क्रमांक	निर्वनीकरण हेतु क्षेत्रफल (हे.में.)	निर्वनीकरण के कारण का संक्षिप्त विवरण	निर्वनीकरण किये जाने वाले वन क्षेत्र की सीमाए
1	2	3	4	5	6
1.	खोरी	(नया) कक्ष क्र.– पी.एफ.–141 (पुराना) कक्ष क्र. पी.एफ.– 53 नया) कक्ष क्र.– पी.एफ.–142 (पुराना) कक्ष क्र. पी.एफ.– 52	150.00	भारत शासन की स्वीकृती क्रमांक F.No.8-17/2017-FC दिनाक 6.07.2017 की शर्त क्रमांक–1 के पालन में सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के संरक्षित क्षेत्र से विस्थापित कर वनमंडल (सामान्य) होशंगाबाद की वनभूमि पर बसाये गये वनग्राम की वनभूमि का निर्वनीकरण किया जाना है।	उत्तर सीमा – नई कृत्रिम लाइन मुनारा क्रमांक 173/1 सें 11 (नया मुनारा) तक वनखण्ड खोरी संरक्षित वन। पूर्व सीमा – कृत्रिम लाईन मुनारा क्रमांक 11 सें आरक्षित वनखण्ड निलगढ के मुनारा क्रमांक 180 तक।

						दक्षिणी सीमा –कृत्रिम लाइन आरक्षित वनखण्ड निलगढ की सीमा मुनारा क्रमांक 180 से मुनारा क्रमांक 173 तक। **पश्चिम सीमा** –कृत्रिम लाईन आरक्षित वनखण्ड निलगढ के मुनारा क्रमांक 173 से 170 तक एवं आरक्षित वनखण्ड निलगढ के मुनारा क्रमांक 170 से 172 तक एवं मुनारा क्रमांक 172 से 173/1 संरक्षित वनखण्ड खोरी ।

नोटः– प्रस्तावित रकबा के बाहारी सीमा के आक्षांश एवं देशांन्त (1) 22°31'49.51"N, 77°43'44.77"E (2) 22°31'46.39"N, 77°45'5.10"E (3) 22°31'16.09"N, 77°44'25.16"E(4) 22°31'28.40"N, 77°43'53.46"E

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 01 अक्टूबर 2019

एफ–25–54–2019–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–54–2019–दस–3, दिनांक 01 अक्टूबर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

Bhopal, the 1st October 2019

F.No./25-54/2019/10-3 :: In Exercise of power conferred by Section 34(A) of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927) the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below, which was declared as protected Forest by the Notification Number / **9-X/58 Date 10 July 1958** of Madhya Pradesh Forest Department, will cease to be Protected Forest and with effect from the date of publication of the notification in "Madhya Pradesh Gazette and this land shall atand transferred to the Revenue Department

SCHEDULE

District :- Hoshangabad **Tehsil :- Itarsi**
Forest Division :- Hoshangabad **Forest Range - Itarsi**

S. No.	Forest Block	Forest Comp. No.	Area for denotified (Hec)	Brief description of reasons for Denotification	Boundaries of handed over forest land
1.	Khori	**(New)PF-141 (Old)PF-53**	**150.00**	For relocation of village From Satpura tiger Reserve vide the Sanction Issued By **MOEF&CC Letter No. F-NO.8-17/2017 Date 6.07.2017.**	**North:-** Artificial New cut line From Pillar No.- 173/1 to 11 (New Pillar). Block Khori Protected Forest **East:-** Artificial line From pillar No.- 11 (New Pillar) to Pillar no. 180 Reserve forest Block Nilgar.
		(New)PF-142 (Old)PF-52			

					South:- Artificial line of Reserve forest Block Nilgar from Pillar no. 180 to Pillar no. 173. **West:-** Artificial line from Pillar no. 173 of Nilgar Forest Block to pillar no.-172 and From 172 to 173/1 .

Note: Latitude & Longitude of Proposed Area (1) 22°31'49.51"N, 77°43'44.77"E (2) 22°31'46.39"N, 77°45'5.10"E (3) 22°31'16.09"N, 77°44'25.16"E(4) 22°31'28.40"N, 77°43'53.46"E

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H. S. MOHANTA, Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, छिन्दवाड़ा विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्र. एफ-1-8-19-रा.स.-यू.ए. 1-2914.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक में दिए गए प्रावधान एवं राज्य शासन से परामर्श के पश्चात् मैं, लाल जी टंडन, कुलाधिपति, छिन्दवाड़ा विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म. प्र.), एतद्द्वारा, डॉ. एम. के. श्रीवास्तव (पूर्व प्राध्यापक, विधि विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल), ए-60, एमराल्ड पार्क सिटी, एम्स के पास, भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए छिन्दवाड़ा विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा का प्रथम कुलपति नियुक्त करता हूं.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

लाल जी टंडन, कुलाधिपति.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 38–अ–82–16–17–जौलखेड़ा–10321.— बैतूल, दिनांक 16 सितम्बर 2019

चूँकि,राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची–2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:–

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	जौलखेड़ा	0.552	ईटारसी–नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची–2
(प्रभावति धारकों की सूची)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा कमांक	भूमि का कुल रकबा हे0में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे0 में
1	2	3	4	5
1	घुडिया व0 भोन्दु तेली सा0देह	3/1	0.245	0.003
2	घुड़िया व0 भोन्दु तेली सा0 देह	4/1	0.990	0.009
3	फत्तू वल्द प्रेमू सा0 देह	17/1	0.610	0.119
4	नथन व0 झिपरया सा0 देह	61/1	0.007	0.003
5	छोटू वल्द झिपरया सा0 देह	61/3	0.007	0.003
6	भोला वल्द बिरजलाल, बना, छोटी,जमना पिता बिरजलाल, बंटनी बेवा इन्दु, रामरतन, कमलकिशोर वल्द इन्दु, मीरा, द्वारका, सुनिता, अनिता, रूकमणी, ज्योति पिता इन्दु सा0 देह	61/2	0.014	0.003
7	चुनिया पति कालूराम सा0 देह	62/2	0.0046	0.006
8	कालूराम व0 ब्रजलाल सा0 देह	62/3	0.046	0.005
9	कालूराम व0 ब्रजलाल सा0 देह	63	0.295	0.023
10	नान्हु वल्द घुन्दू सा0 देह	89/1	0.377	0.007
11	विमला बेवा मुन्नालाल, हरिश, निलेश व0 मुन्नालाल, मनीषा पिता मुन्नालाल, सा0 देह	89/2	0.377	0.052

12	छोटेलाल, शंकर, वल्द मौजी कैलाश, प्रहलाद व0 गुल्लू, अनुसया पिता गुल्लू सा0 देह	178/2	0.393	0.001
13	सुन्दरसिंह व0 बलसिंह, राधा बेवा राजेश, पंकजसिंह व0 रोजश सिंह सा0 देह	706/1	0.677	0.030
14	हेमराजसिंह व0 सुखचंद सा0 देह	734/1	0.571	0.048
15	झुनिया व0 चिरोजी सा0 देह	734/2	0.647	0.040
16	पूरन व0 गेंदलाल सा0 देह	734/3	0.486	0.016
17	बिहारी व0 मंशाराम सा0 देह	734/4	0.607	0.080
18	पुरूषोत्तम व0 रामलाल, धनराज व0 पुरूषोत्तम सा0 देह	726	2.044	0.104
योग			8.397	0.552

2– चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।

3– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

4– समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

क्रमांक 10-अ-82-15-16-चिल्हाटी-10322.—

चूँकि,राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं। इस हेतु अनुसूची–2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:–

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	**मुलताई**	**चिल्हाटी**	**0.697**	तिगांव– चिचण्डा, तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची–2
(प्रभावति धारकों की सूची)

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा कमांक	भूमि का कुल रकबा हे0में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे0 में
1	2	3	4	5
1	पूरन व. भिक्कू, गिरजा, सारजी, तुरजी पिता भिक्कू, सनोती बेवा भिक्कू, रोशन, रविन्द्र, हरिन्द्र व. रम्मकलाल, रेखा पिता रम्मकलाल, सुरेश व. वत्तू,सीमा, मीना व. वत्तू, कला पिता रामजी, जाति गोंड, सा.देह	73/1	3.449	0.065
2	कैलाश, कृष्णा व. रामकिशन, सुलोचना, भागरती, अनुसया, रजनी, अंजली पिता रामकिशन कलार, सा.देह	53/1	0.806	0.280
3	किसनलाल व.गोरेलाल, निवासी ग्राम भूमि स्वामी	52/3	0.202	0.032
4	कृष्णा व. मन्ना भोयर, सा.देह भूमि स्वामी	54/1	0.670	0.053
5	रामकुवर, प्यारेलाल व. भारत झामो उर्फ तुरसाई बेवा भारत, हीरा इंदिरा, लक्ष्मी, चंद्रकला संतोषी पिता भारत, जाति पंवार पता सा.देह भूमिस्वामी	54/4	0.800	0.057
6	गोविन्दराव व. मन्ना, जाति पंवार सा.देह भूमि स्वामी	54/2	0.445	0.057
7	युवराज व. अर्जुन सा.देह	59/1	0.838	0.046
8	गंगाराम व. खुशर सा.देह भूमि स्वामी	58	0.809	0.004
9	केशोराव व. रिंगु बंसता, यशोदा, सूशो, सुभद्रा पिता रिंगू गोड जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी	244	1.068	0.099
10	लुखी जौ. अमरूत जाति पंवार सा.देह	56	0.255	0.004
	कुल योग:–		9.342	0.697

2– चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।

3– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

4– समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

क्रमांक 32-अ-82-16-17-चिखलीखुर्द-10445.— बैतूल, दिनांक 21 सितम्बर 2019

चूँकि,राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची–2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:–

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	**मुलताई**	**चिखलीखुर्द**	**0.039**	**ईटारसी–नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन**

अनुसूची–2
(प्रभावति धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे0 में	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	बापूराव व. डेबु, संतु व. डेबु, मारोती, महादेव,सहदेव व. सीताराम, सिन्धु व. सीताराम, चन्द्रभान, राजु व. भगवान, सुमीत्रा व. भगवान, गीता बेवा सुरेश राहुल ना.बा. व. सुरेश वली मां गीता, गणेश, दिनेश व. अजाबराव, भूरो व. अजाबराव भागरती बेवा अजाबराव, मखू व. बारक्या, जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	295	0.935	0.039
योग			**0.935**	**0.039**

2– चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।

3– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

4– समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

प्र. क्र. 0009-अ-82-16-17-बाजपुर-10446.—

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची –2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(है0में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	बाजपुर	0.778	रेलवे तीसरी लाईन

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

स0 क0	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	अर्जित रकबा हे0 में
1	2	3	4	5
1	भूपेन्द्र कुमार व. लक्ष्मीनारायण निवासी बैतूल गंज	1	1.967	0.282
2	सददू व. किसनलाल निवासी रावनबाड़ी	2	1.299	0.234
3	हकीमुद्दीन व. अब्दुल हुसैन, हुसैना बी बाई बेवा असिफ हुसैन, मोईज भाई अली असगर खॉ व. आसिफ हुसैन, मुस्ताफा हुसैन व. दाउद भाई निवासी बैतूल	4	0.295	0.262
योग			3.561	0.778

(2) चूंकि बाजपुर रेलवे तीसरी लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 37-अ-82-16-17-भिलाई-10447.—

चूँकि,राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची–2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:–

अनुसूची– 1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	भिलाई	0.150	ईटारसी–नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क0	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे0	कुल अर्जितरकबा हें0 में
1	2	3	4	5
1	बेलाबाई पिता रोन्या सा0 हेटीखापा ,मैनी पिता रोन्या सा0 एनस रेखाबाई पिता रोन्या सा0 जौलखेड़ा, रमेश, रूपेश पिता श्यामू उमा, शारदा, नर्मदा पिता श्यामू सा0 भिलाई	111	0.555	0.004
2	बेबी बेवा चिन्तामन, अनिल, संजय पिता चिन्तामन, सीमा, मीना पिता चिन्तामन, छोटेलाल, रामराव वल्द जगला सा0 मुलताई चैत्या व0 पतिराम सा0 परमंडल	107	3.315	0.115
		108	0.170	0.031
योग				0.150

2– चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।

3– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

4– समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

प्र. क्र. 0010-अ-82-16-17-केलापुर-10449.—

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची –2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(है0में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	केलापुर	0.867	रेलवे तीसरी लाईन

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

स0क0	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	अर्जित रकबा हे0 में
1	2	3	4	5
1	जगननाथ व. रतन निवासी भैंसदेही	95	0.421	0.122
2	रतन व. छोटेलाल निवासी केलापुर	96	0.704	0.152
3	भूरू व.शिवबक्स निवासी खेड़ली	97/1	1.032	0.143
4	जशोदा जौ. सुखनंदन निवासी भैंसदेही	97/2	0.405	0.109
5	मल्लू व. नौकेलाल निवासी उमरी	98/1	0.479	0.132
6	शिवदयाल व. नौकेलाल निवासी उमरी	98/3	0.971	0.048
7	सुगन्ती बेवा मुन्शी, परसराम, सुखदेव , वासुदेव व. मुन्शी, विमला, गंगा, जमना, रामबाई, श्यामबाई पिता मुन्शी निवासी उमरी जागीर	99	1.536	0.161
योग			5.548	0.867

(2) चूंकि केलापुर रेलवे तीसरी लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 462–भू–अर्जन–2019.— सीधी, दिनांक 18 सितम्बर 2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

(1) <u>भूमि का वर्णन</u>–

(क) जिला	–	सीधी
(ख) तहसील	–	रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम	–	नैकिन
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	–	नैकिन
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	–	रकवा 18.204 हे0

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	400/1/1/1	0.360	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
2	400/1/1/2			
3	400/1/2/1/1			
4	400/1/2/2			
5	400/1/2/3			
6	400/1/2/4			
7	400/1/2/5			
8	400/1/2/6			
9	400/1/2/7			
10	400/1/2/8			
11	400/1/2/9			
12	400/1/2/10			
13	400/1/2/11			
14	400/1/3			
15	400/2			
16	398/1/1/1/1	0.094		
17	398/1/1/1/2			
18	398/1/1/1/3			
19	398/1/1/2			
20	398/1/2			
21	398/2			
22	401/1	0.050		
23	401/2	0.050		
24	401/3	0.070		
25	403	0.060		
26	402	0.030		
27	404	0.014		
28	405	0.016		
29	412	0.050		
30	411	0.004		
31	413	0.781		
32	410	0.170		
33	409/1	0.100		
34	409/2	0.311		
35	443	0.152		

36	463/1/1	0.981		
37	463/1/2			
38	463/1/3			
39	463/1/4			
40	463/1/5			
41	463/1/6			
42	463/2	0.088		
43	462	0.049		
44	445	0.284		
45	444	0.016		
46	447/1/1	0.278		
47	447/1/2			
48	447/2			
49	447/3			
50	447/4			
51	449/1/1	0.375		
52	449/1/2			
53	449/2			
54	449/3			
55	449/4			
56	449/5			
57	451/1	0.163		
58	451/2			
59	451/3			
60	451/4			
61	452/1	0.166		
62	452/2			
63	452/3			
64	452/4			
65	452/5			
66	452/6			
67	452/7			
68	450	0.565		
69	2341/1/1	0.382		
70	2341/1/2			
71	2341/1/3			
72	2341/1/4			
73	2341/2			

74	2342/1	0.091		
75	2342/2			
76	2342/3			
77	2342/4			
78	2342/5			
79	2342/6/1			
80	2342/6/2			
81	2342/7/1			
82	2342/7/2			
83	2359/1	0.104		
84	2359/2			
85	2359/3			
86	2359/4			
87	2359/5			
88	2338/1	0.344		
89	2338/2			
90	2338/3			
91	2338/4			
92	2338/5			
93	2337/1	0.067		
94	2337/2			
95	2337/3			
96	2337/4/1			
97	2337/4/2			
98	2337/4/3			
99	2360	0.054		
100	2358	0.026		
101	2357/1	0.438		
102	2357/2			
103	2357/3/1			
104	2357/3/2			
105	2357/4/1/1/1			
106	2357/4/1/1/2			
107	2357/4/1/1/3			
108	2357/1/1/1/4			
109	2357/4/1/2			
110	2357/4/2			
111	2357/4/3			
112	2357/4/4			

113	2356/1	0.005		
114	2356/2			
115	2356/3			
116	2490/1	0.104		
117	2490/2			
118	2490/3			
119	2489/1	0.037		
120	2489/2			
121	2489/3			
122	2491/1	0.081		
123	2491/2			
124	2491/3			
125	2493/1	0.129		
126	2493/2			
127	2493/3			
128	2352/1	0.020		
129	2352/2			
130	2352/3			
131	2354/1	0.009		
132	2354/2			
133	2354/3			
134	2354/4			
135	2354/5			
136	2496	0.314		
137	2495	0.368		
138	2497	0.021		
139	2510/1	0.424		
140	2510/2			
141	2509/1	0.016		
142	2509/2			
143	2508/1	0.078		
144	2508/2/1			
145	2508/2/2			
146	2508/2/3			
147	2511/1	0.189		
148	2511/2/1			
149	2511/2/2/1			
150	2511/2/2/2			
151	2511/2/3			

152	2507	0.153		
153	2534	0.444		
154	2537	0.140		
155	2872	0.180		
156	2873/1	0.154		
157	2873/2			
158	2873/3			
159	2873/4			
160	2873/5			
161	2918	0.277		
162	2919/1	0.018		
163	2919/2	0.002		
164	2919/3	0.002		
165	2919/4	0.002		
166	2919/5	0.002		
167	2919/6	0.002		
168	2919/7	0.002		
169	2921/1	0.017		
170	2921/2			
171	2921/3			
172	2921/4			
173	2921/5			
174	2921/6			
175	2921/7			
176	2780	0.070		
177	2920/1	0.074		
178	2920/2			
179	2920/3			
180	2920/4			
181	2920/5			
182	2920/6			
183	2920/7			
184	2917	0.093		
185	2914	0.010		
186	2915	0.010		
187	2908	0.010		
188	2912	0.030		
189	2916	0.010		
190	2909	0.030		

191	2910	0.020		
192	2911	0.030		
193	2913	0.060		
194	2922/1	0.065		
195	2922/2			
196	2922/3			
197	2922/4			
198	2922/5			
199	2922/6			
200	2922/7			
201	3064	0.030		
202	3062	0.074		
203	3065/1	0.307		
204	3065/2/1			
205	3065/2/2			
206	3065/2/3			
207	3065/3			
208	3065/4			
209	3061/1/1	0.303		
210	3061/1/2			
211	3061/1/3			
212	3061/1/4			
213	2932/1	0.173		
214	2933/1	0.071		
215	2935/1	0.220		
216	2936	0.013		
217	2938/1	0.044		
218	2941/1	0.142		
219	2940/1/1	0.070		
220	2940/1/2			
221	3001/1	0.047		
222	3001/2			
223	2942	0.050		
224	2944/1	0.173		
225	2943/1/1	0.173		
226	2782/1	0.153		
227	2783	0.076		
228	2779	0.070		
229	2696	0.087		

230	2700	0.136		
231	2697	0.028		
232	2694	0.257		
233	2695	0.040		
234	2947/1/1	2.025		
235	2947/1/2			
236	2947/2/1			
237	2948/1/1	0.019		
238	2948/1/2			
239	2948/2	0.100		
240	2692	0.219		
241	2690	0.050		
242	2691	0.032		
243	2784	0.097		
244	2937/1	0.237		
245	2693	1.251		
246	2946/1	0.394		
247	2781	0.322		
248	3000/1	0.042		
249	2929	0.006		
250	2538	0.004		
251	446	0.081		
252	3034/1	0.060		
253	2512	0.008		
254	3063	0.002		
255	2488/2/2	0.001		
256	2533	0.002		
257	2689	0.001		
258	2934/1	0.024		
259	2698	0.005		
कुल योग –		18.204		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 464–भू–अर्जन–2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

(1) भूमि का वर्णन–

(क) जिला – **सीधी**

(ख) तहसील – **चुरहट**

(ग) ग्राम – **चंदैनिया**

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर – **चंदैनिया**

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल – **रकवा 2.830 हे0**

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	7/1	0.137	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
2	7/2			
3	10	0.128		
4	10/812	0.100		

5	11	0.073		
6	12	0.138		
7	35	0.033		
8	36	0.021		
9	37	0.033		
10	88	0.118		
11	89	0.113		
12	94	0.661		
13	95	0.095		
14	96	0.025		
15	100	0.028		
16	109/1	0.068		
17	109/2			
18	109/3			
19	109/4/क			
20	109/4/ख			
21	110/1/1	0.370		
22	110/1/2			
23	110/1/3			
24	110/1/4			
25	110/1/5			
26	110/2/1			
27	110/2/2			
28	110/3/1			
29	110/3/2			
30	111/1/1	0.328		
31	111/1/2			
32	111/1/3			
33	111/2/1			
34	111/2/2			
35	137/1/1	0.317		
36	137/1/2			
37	137/1/3			
38	137/1/4			
39	137/1/5			
40	137/1/6			
41	137/2			
42	138/1/1	0.024		
43	138/1/2			
44	138/1/क			
45	138/1/ख			
46	138/2			
47	140	0.020		
निजी भूमि का योग		**2.830**		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 466–भू–अर्जन–2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला :– सीधी

(ख) तहसील :– बहरी

(ग) ग्राम :– कुबरी

(घ) क्षेत्रफल :– **12.685 हे0**

क्र0	खसरा नं0	अर्जन हेतु रकवा हे0 में	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	4	0.091	उपमुख्य अभियंन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	सीधी–सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु।
2	3	0.023		
3	2	0.497	-,,-	-,,-
4	1/1	0.260	-,,-	-,,-
5	1/2		-,,-	-,,-
6	26	0.002	-,,-	-,,-
7	25	0.055	-,,-	-,,-
8	18	0.216	-,,-	-,,-
9	17	0.143	-,,-	-,,-
10	19	0.472	-,,-	-,,-
11	20	0.436	-,,-	-,,-
12	21	0.002	-,,-	-,,-
13	56	0.002	-,,-	-,,-
14	106	0.043	-,,-	-,,-

15	107	0.060	-,,-	-,,-
16	108	0.101	-,,-	-,,-
17	109	0.245	-,,-	-,,-
18	110/1	0.521	-,,-	-,,-
19	110/2		-,,-	-,,-
20	111	0.200	-,,-	-,,-
21	112	0.110	-,,-	-,,-
22	113	0.050	-,,-	-,,-
23	114	0.208	-,,-	-,,-
24	115	0.208	-,,-	-,,-
25	116	0.729	-,,-	-,,-
26	58	0.003	-,,-	-,,-
27	59	0.003	-,,-	-,,-
28	104	0.024	-,,-	-,,-
29	98	0.173	-,,-	-,,-
30	99	0.002	-,,-	-,,-
31	97	0.114	-,,-	-,,-
32	96	0.032	-,,-	-,,-
33	117	0.450	-,,-	-,,-
34	118	0.857	-,,-	-,,-
35	119	0.367	-,,-	-,,-
36	120	0.024	-,,-	-,,-
37	121	0.007	-,,-	-,,-
38	123	0.452	-,,-	-,,-
39	161	0.020	-,,-	-,,-
40	162	0.220	-,,-	-,,-
41	160	0.130	-,,-	-,,-
42	158	0.112	-,,-	-,,-
43	159	0.060	-,,-	-,,-
44	163	0.112	-,,-	-,,-
45	165	0.082	-,,-	-,,-
46	166	0.036	-,,-	-,,-
47	170	0.010	-,,-	-,,-
48	171	0.001	-,,-	-,,-
49	248	0.100	-,,-	-,,-
50	303	0.090	-,,-	-,,-
51	305	0.080	-,,-	-,,-
52	306	0.060	-,,-	-,,-
53	307	0.062	-,,-	-,,-
54	308	0.057	-,,-	-,,-
55	304	0.040	-,,-	-,,-
56	250	0.027	-,,-	-,,-
57	249	0.280	-,,-	-,,-

58	301/1	0.845	-,,-	-,,-
59	301/2		-,,-	-,,-
60	309/693	0.120	-,,-	-,,-
61	309	0.496	-,,-	-,,-
62	254/1	0.005	-,,-	-,,-
63	254/2		-,,-	-,,-
64	299	0.021	-,,-	-,,-
65	300	0.060	-,,-	-,,-
66	298	0.279	-,,-	-,,-
67	297	0.080	-,,-	-,,-
68	315/1	0.420	-,,-	-,,-
69	315/2		-,,-	-,,-
70	315/3		-,,-	-,,-
71	315/4		-,,-	-,,-
72	315/5		-,,-	-,,-
73	313	0.116	-,,-	-,,-
74	286	0.003	-,,-	-,,-
75	287	0.029	-,,-	-,,-
76	296	0.130	-,,-	-,,-
77	316	0.125	-,,-	-,,-
78	317	0.101	-,,-	-,,-
79	318	0.088	-,,-	-,,-
80	320	0.025	-,,-	-,,-
81	319	0.014	-,,-	-,,-
82	294	0.148	-,,-	-,,-
83	291	0.140	-,,-	-,,-
84	251/मिन -1	0.220	-,,-	-,,-
85	251/ मिन - 2		-,,-	-,,-
86	252	0.102	-,,-	-,,-
87	295	0.128	-,,-	-,,-
88	310	0.075	-,,-	-,,-
89	314	0.081	-,,-	-,,-
90	247	0.030	-,,-	-,,-
91	288	0.043	-,,-	-,,-
कुल योग–		12.685		

भूमि का नक्शा (प्लांन) उपखण्ड अधिकारी, सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 468-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

(1) <u>भूमि का वर्णन</u>–

(क) जिला	–	**सीधी**
(ख) तहसील	–	**रामपुर नैकिन**
(ग) ग्राम	–	**बघवार**
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	–	**बघवार**
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	–	**रकवा 6.767 हे0**

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	740	1.508	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
2	739	0.111		
3	737	0.120		

4	711/1	0.130		
5	711/2			
6	712	0.022		
7	738	0.072		
8	713	0.717		
9	714	0.068		
10	715/1	0.315		
11	715/2			
12	716/1	0.164		
13	716/2			
14	718	0.044		
15	717	0.013		
16	705/1	0.027		
17	705/2/1			
18	705/2/2			
19	704/1/1/1	0.481		
20	704/1/1/2			
21	704/1/2			
22	704/2/1/1/1/1			
23	704/2/1/1/1/2			
24	704/2/1/1/2			
25	704/2/1/1/3			
26	704/2/1/1/4			
27	704/2/1/2			
28	704/2/2/1			
29	704/2/2/2			
30	703/1/1/1/1	0.564		
31	703/1/1/1/2			
32	703/1/1/2			
33	703/1/2/1/1			
34	703/1/2/1/2			
35	703/1/2/2			
36	703/2			
37	722/1/1	0.231		
38	722/1/2			
39	722/1/3			
40	722/2/1			
41	722/2/2			
42	700/1	0.045		
43	700/2			

44	697/1	0.030		
45	697/2			
46	697/3			
47	702	0.284		
48	860	0.030		
49	862	0.037		
50	863	0.065		
51	864/1/1/1	1.008		
52	864/1/1/2			
53	864/1/1/3			
54	864/1/1/4			
55	864/1/1/5			
56	864/1/2			
57	864/1/3			
58	864/2			
59	864/3			
60	864/4			
61	890	0.041		
62	891	0.061		
63	892	0.004		
64	894	0.348		
65	896	0.093		
66	889	0.022		
67	881	0.005		
68	706/1	0.107		
69	706/2			
निजी भूमि का योग		**6.767**		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 470–भू–अर्जन–2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

(1) भूमि का वर्णन–

(क) जिला	–	सीधी
(ख) तहसील	–	रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम	–	मझियार
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	–	अगडाल
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	–	रकवा 2.978 हे0

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	53	0.029	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
2	54	0.012		

3	57	0.127		
4	58/1	0.340		
5	58/2			
6	59/1	1.010		
7	59/2			
8	60/1	0.029		
9	60/2			
10	92	0.160		
11	61/1/1	0.175		
12	61/1/2			
13	61/2			
14	62	0.078		
15	63/1	0.167		
16	63/2			
17	37	0.101		
18	36/1	0.134		
19	36/2			
20	74	0.019		
21	76/1	0.009		
22	76/2			
23	35/मि-1	0.162		
24	35/मि-2/1			
25	35/मि-2/2			
26	27	0.079		
27	32	0.010		
28	33/1	0.010		
29	33/2			
30	34/1	0.010		
31	34/2			
32	31	0.164		
33	29	0.047		
34	28	0.007		
35	174/1	0.095		
36	174/2			
37	173/1	0.004		
38	173/2			
निजी भूमि का योग		**2.978**		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 472–भू–अर्जन–2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 14.10.2016 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

(1) भूमि का वर्णन :–

(क) जिला :– सीधी

(ख) तहसील :– चुरहट

(ग) ग्राम :– बडखरा–739

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर :– बडखरा

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :– रकबा 2.919 हे0

क्र0	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे0 में	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	70/1/1	0.019	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा–सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
2	70/1/2			
3	70/2			

4	73/1	0.085		
5	73/2/1/1			
6	73/2/1/2			
7	73/2/1/3			
8	73/2/2			
9	73/3/1/1			
10	73/3/1/2			
11	73/3/2			
12	74/1/1	0.019		
13	74/1/2			
14	74/2			
15	75/1/1/1	0.295		
16	75/1/1/2			
17	75/1/1/3			
18	75/1/1/4			
19	75/1/2			
20	75/2			
21	75/3			
22	75/4			
23	75/5			
24	75/6			
25	75/7			
26	75/8			
27	75/9			
28	75/10			
29	75/11			
30	75/12			
31	76/1	0.013		
32	76/2			
33	77/1	0.012		
34	77/2			
35	105/1	0.111		
36	105/2/1/1/1/1			
37	105/2/1/1/1/2			
38	105/2/1/1/1/3			
39	105/2/1/1/1/4			
40	105/2/1/1/2			
41	105/2/1/2			
42	105/2/1/3			
43	105/2/2			
44	105/3/1/1			
45	105/3/1/2			
46	105/3/2/1			
47	105/3/2/2			

48	105/3/2/3			
49	105/3/2/4			
50	106/1/1	0.016		
51	106/1/2			
52	106/2			
53	107	0.019		
54	108/1	0.142		
55	108/2/1			
56	108/2/2			
57	108/3			
58	108/4/1/1			
59	108/4/1/2			
60	108/4/2			
61	109/1	0.085		
62	109/2/1			
63	109/2/2			
64	109/3			
65	109/4/1			
66	109/4/2			
67	110/1	0.130		
68	110/2/1			
69	110/2/2			
70	110/3			
71	110/4/1/1			
72	110/4/1/2			
73	110/4/1/3			
74	110/4/2/1			
75	110/4/2/2			
76	110/4/2/3			
77	110/4/2/4			
78	122	0.005		
79	123	0.120		
80	124/1/1	0.062		
81	124/1/2			
82	124/2			
83	124/3			
84	124/4			
85	124/5			
86	282	0.097		
87	283	0.030		
88	284	0.012		
89	285	0.002		
90	286	0.001		
91	290	0.001		

92	294/1	0.177		
93	294/2			
94	296/1	0.012		
95	296/2			
96	296/3			
97	296/4			
98	296/5			
99	297	0.117		
100	298	0.001		
101	314	0.006		
102	315	0.310		
103	323/1	0.016		
104	323/2			
105	323/3			
106	324/1	0.040		
107	324/2			
108	324/3			
109	325/1/1	0.047		
110	325/1/2			
111	325/1/3			
112	325/1/4			
113	325/1/5			
114	325/1/6			
115	325/1/7			
116	325/1/8			
117	325/1/9			
118	325/1/10			
119	325/2			
120	325/3			
121	326/1	0.142		
122	326/2			
123	326/3			
124	326/4			
125	326/5			
126	326/6			
127	327/1	0.038		
128	327/2			
129	327/3			
130	331	0.001		
131	463/1	0.019		

132	463/2			
133	464/1	0.124		
134	464/2			
135	465/1	0.022		
136	465/2	0.280		
137	496	0.020		
138	497	0.114		
139	499	0.012		
140	505	0.001		
141	506	0.042		
142	507/1	0.098		
143	507/2			
144	508	0.064		
145	509	0.071		
146	510	0.039		
147	511	0.001		
148	512/1	0.050		
149	512/2			
150	513	0.057		
151	514	0.023		
152	515	0.001		
	कुल योग –	**3.221**		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 474–भू–अर्जन–2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

(1) भूमि का वर्णन :–

(क) जिला :– सीधी
(ख) तहसील :– गोपद बनास
(ग) ग्राम :– कोतरकला
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर :– कोतरकला 71
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :– रकबा 5.855 हे0

क्र0	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे0 में	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	62	0.382	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा–सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
2	70/मि-1	0.010		
3	70/मि-2			
4	70/मि-3			
5	71	0.122		
6	63	0.001		
7	75/मि-1	0.248		
8	75/मि-2			
9	78/मि-1	0.062		
10	78/मि-2			
11	77	0.160		
12	80/मि-1	0.085		
13	80/मि-2			
14	89/मि-1	0.020		

15	89/मि-2		उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा–सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
16	90/1	0.010		
17	90/2			
18	88	0.034		
19	87	0.129		
20	86/मि-1	0.116		
21	86/मि-2			
22	85/1	0.053		
23	85/2			
24	42/1	0.132		
25	42/2			
26	91/1	0.962		
27	91/1/2			
28	91/1/3			
29	91/1/4			
30	91/1/5			
31	91/3/ख/1			
32	91/3/ख/2			
33	91/3/ख/3			
34	91/3/ख/4			
35	91/4/ग/1			
36	91/4/ग/2			
37	91/4/ग/3			
38	91/मि-2			
39	91/मि-3			
40	91/मि-4			
41	91/मि-5			
42	91/मि-6			
43	91/मि-7			
44	91/मि-8			
45	91/मि-10			
46	91/मि-11			
47	91/मि-12			
48	91/मि-13			
49	91/मि-14			
50	91/मि-15			
51	91/मि-16			
52	91/मि-17			
53	91/मि-18			
54	91/मि-19			
55	91/मि-20			
56	91/मि-21			
57	91/मि-22			
58	91/मि-23			
59	91/मि-24			
60	84/मि-1	0.052		
61	84/मि-2			
62	83	0.048		
63	17/1	0.158		
64	17/2			
65	17/3			

66	17/4		उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा–सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
67	17/5			
68	16/1	0.021		
69	16/2			
70	16/3/1			
71	16/3/2			
72	16/3/3			
73	16/3/4			
74	19/1	0.042		
75	19/2			
76	19/3			
77	19/4			
78	19/मि-2			
79	15/1	0.162		
80	15/1/2			
81	15/2			
82	15/3/2			
83	15/3/मि-1			
84	15/4			
85	15/मि-2			
86	15/मि-3			
87	20/1/1/2	0.064		
88	20/1/1/मि-1			
89	20/1/6			
90	20/1/8			
91	20/1/9			
92	20/1/10			
93	20/1/11			
94	20/1/12			
95	20/1/13			
96	20/1/14			
97	20/1/15			
98	20/1/16			
99	20/1/17			
100	20/1/18			
101	20/1/19			
102	20/1/20			
103	20/1/21			
104	20/1/22			
105	20/1/मि-1			
106	20/1/मि-2			
107	20/1/मि-3			
108	20/1/मि-4			
109	20/1/मि-5			
110	20/1/मि-6			
111	20/2/1			
112	20/2/मि-2			
113	20/2/मि-3			
114	20/2/मि-4			
115	20/2/मि-5			
116	20/2/मि-6			

117	20/2/मि-7		उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा–सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
118	20/2/मि-8			
119	20/2/मि-9			
120	20/2/मि-10			
121	20/2/मि-11			
122	20/2/मि-12			
123	20/2/मि-13			
124	20/2/मि-14			
125	20/3/क			
126	20/3/ख			
127	20/3/ग			
128	14/1/1			
129	14/1/2			
130	14/1/3			
131	14/1/क			
132	14/2/क			
133	14/2/ख			
134	14/2/ग			
135	14/मि-1			
136	14/मि-2	0.282		
137	14/मि-3			
138	14/मि-4			
139	14/मि-5			
140	14/मि-6			
141	14/मि-8			
142	14/मि-9			
143	14/मि-10			
144	14/मि-11			
145	8/1/1			
146	8/1/2			
147	8/1/3			
148	8/1/4			
149	8/1/4/1			
150	8/1/5			
151	8/1/5/मि-2			
152	8/1/5/मि-3			
153	8/1/क			
154	8/1/क/2			
155	8/1/मि-2			
156	8/1/मि-3/1	0.847		
157	8/1/मि-3/3			
158	8/1/मि-3/4			
159	8/1/मि-3/5			
160	8/1/मि-3/6			
161	8/1/मि-3/7			
162	8/1/मि-3/8			
163	8/1/मि-3/मि-2			
164	8/1/मि-4			
165	8/1/मि-6			
166	8/1/मि-7			
167	8/1/मि-8			

168	8/1/मि-9		उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा–सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
169	8/1/मि-10			
170	8/1/मि-11			
171	8/9			
172	8/10			
173	8/मि-2			
174	8/मि-3			
175	8/मि-4			
176	8/मि-5			
177	8/मि-6			
178	8/मि-7			
179	8/मि-8			
180	9/1/2/2	0.545		
181	9/1/2/3			
182	9/1/2/4			
183	9/1/2/5			
184	9/1/2/6			
185	9/1/2/7			
186	9/1/2/8			
187	9/1/2/9			
188	9/1/2/10			
189	9/1/2/11			
190	9/1/2/12			
191	9/1/2/13			
192	9/1/2/14			
193	9/1/2/15			
194	9/1/2/16			
195	9/1/2/17			
196	9/1/2/18			
197	9/1/2/19			
198	9/1/2/20			
199	9/1/2/21			
200	9/1/2/22			
201	9/1/2/23			
202	9/1/2/25			
203	9/1/2/26			
204	9/1/2/27			
205	9/1/2/28			
206	9/1/2/29			
207	9/1/2/30			
208	9/1/2/मि-1			
209	9/1/2/मि-24			
210	9/1/3/क			
211	9/1/3/ख			
212	9/1/4			
213	9/1/5			
214	9/1/6			
215	9/1/7			
216	9/1/क/मि-1			
217	9/1/मि-1			
218	9/2/क			

219	9/2/ख		उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा–सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
220	9/2/ग			
221	9/2/घ			
222	9/2/ड़			
223	7/1	0.340		
224	7/1/2			
225	7/1/3			
226	7/1/4			
227	7/1/5/1			
228	7/1/5/2			
229	7/1/5/3			
230	7/1/5/4			
231	7/1/5/5			
232	7/1/5/6			
233	7/1/5/7			
234	7/1/5/8			
235	7/1/5/9			
236	7/1/5/10			
237	7/1/5/11			
238	7/1/5/12			
239	7/1/6			
240	7/1/7			
241	7/2			
242	7/2/2			
243	7/3/क			
244	7/3/ख			
245	7/3/ग			
246	6/1/1	0.220		
247	6/1/2			
248	6/1/3			
249	6/1/4			
250	6/1/5			
251	6/1/6			
252	6/1/7			
253	6/2			
254	2/1/1	0.548		
255	2/1/49			
256	2/1/51			
257	2/1/52			
258	2/1/52/2			
259	2/1/53			
260	2/1/54			
261	2/1/55			
262	2/1/56			
263	2/1/57			
264	2/1/58			
265	2/1/59/1			
266	2/1/59/2			
267	2/1/मि-15			
268	2/1/मि-22			
269	2/1/मि-29			

270	2/1/मि-30		उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा–सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
271	2/1/मि-31			
272	2/1/मि-32			
273	2/1/मि-33			
274	2/1/मि-34			
275	2/1/मि-35			
276	2/1/मि-37			
277	2/1/मि-38			
278	2/1/मि-39			
279	2/1/मि-40			
280	2/1/मि-41			
281	2/1/मि-42			
282	2/1/मि-43			
283	2/1/मि-44			
284	2/1/मि-45			
285	2/1/मि-46			
286	2/1/मि-47			
287	2/1/मि-48			
288	2/1/मि-50			
289	2/2/1/2			
290	2/2/1/3			
291	2/2/1/32			
292	2/2/1/33			
293	2/2/1/34			
294	2/2/1/35			
295	2/2/1/36			
296	2/2/1/37			
297	2/2/1/38			
298	2/2/1/39			
299	2/2/1/40			
300	2/2/1/41			
301	2/2/1/42			
302	2/2/1/43			
303	2/2/1/मि-1			
304	2/2/2			
305	2/2/3			
306	2/2/4			
307	2/2/5			
308	2/2/6			
309	2/2/7			
310	2/2/8			
311	2/2/9			
312	2/2/10			
313	2/2/11			
314	2/2/12			
315	2/2/13			
316	2/2/14			
317	2/2/15			
318	2/2/16			
319	2/2/17			
320	2/2/18			

321	2/2/19		उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा–सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
322	2/2/20			
323	2/2/21			
324	2/2/22			
325	2/2/23			
326	2/2/24			
327	2/2/25/मि-1			
328	2/2/25/मि-2			
329	2/2/26			
330	2/2/27			
331	2/2/28			
332	2/2/29			
333	2/2/30			
334	2/2/31			
335	2/2/मि-1			
336	2/मि-2			
337	2/मि-3			
338	2/मि-4			
339	2/मि-5			
340	2/मि-6			
341	2/मि-7			
342	2/मि-8			
343	2/मि-9			
344	2/मि-10			
345	2/मि-11			
346	2/मि-12			
347	2/मि-13			
348	2/मि-14			
349	2/मि-16			
350	2/मि-17			
351	2/मि-18			
352	2/मि-19			
353	2/मि-20			
354	2/मि-21			
355	2/मि-23			
356	2/मि-24			
357	2/मि-25			
358	2/मि-26			
359	2/मि-27			
360	2/मि-28			
	कुल योग –	**5.855**		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 476-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा-11 अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला :- सीधी

(ख) तहसील :- गोपद बनास

(ग) ग्राम :- कोठार

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर :- कोठार नं-77

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :- रकबा 10.060 हे0

क्र0	खसरा नम्बर	का रकवा हे0 में	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	396	1.662	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
2	395	0.060		
3	397/1	0.562		
4	397/2			
5	389/1	0.036		
6	389/2			
7	389/3			
8	389/4			
9	388/1	0.034		
10	388/2			
11	398	0.300		
12	399/1	0.241		
13	399/2			
14	399/3			

15	545	0.616	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा–सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
16	400	0.090		
17	401	1.515		
18	402	0.003		
19	403	0.567		
20	534	0.254		
21	537	0.217		
22	536	0.100		
23	535	0.120		
24	533	0.033		
25	530	0.401		
26	524	0.012		
27	529	0.178		
28	526	0.017		
29	525	0.005		
30	527	0.070		
31	528	0.036		
32	597	0.023		
33	609	0.040		
34	605	0.030		
35	604	0.024		
36	606	0.062		
37	608	0.110		
38	607	0.005		
39	616	0.178		
40	617	0.115		
41	634/1	0.142		
42	634/2			
43	633	0.094		
44	632	0.010		
45	782/1	0.740		
46	782/2			
47	782/3			
48	782/4			
49	782/5			
50	782/6			
51	782/7			
52	779/1	0.090		
53	779/2			
54	779/3			
55	779/4			
56	779/5			
57	779/6			
58	779/7			
59	779/8			
60	784	0.047		
61	808	1.015		
62	809	0.046		
63	394	0.101		

64	610/1	0.049	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा–सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
65	610/2			
66	610/3			
67	610/4			
68	405/1	0.010		
69	405/2			
70	405/3			
	कुल योग	**10.060**		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 478–भू–अर्जन–2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

(1) भूमि का वर्णन :–

(क) जिला :– सीधी
(ख) तहसील :– गोपद बनास
(ग) ग्राम :– गाड़ा लोलर सिंह
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर :– गाडा लोलर सिंह नं–78
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :– रकबा 6.660 हे0

क्र0	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे0 में	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	1182/1		उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)	रीवा–सीधी नई रेल

2	1182/2/2	0.083	पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	लाइन के निर्माण हेतु
3	1182/2/3			
4	1182/2/4			
5	1182/मिन-2			
6	1178/1	0.671		
7	1178/2/1			
8	1178/2/2			
9	1178/2/3			
10	1178/2/4			
11	1178/2/5			
12	1178/3			
13	1177	0.010	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा–सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
14	1174/1	0.994		
15	1174/2			
16	1174/3			
17	1174/4			
18	1174/5			
19	1174/6			
20	1175	0.010		
21	1169	0.139		
22	1172	0.026		
23	1173	0.060		
24	1171	0.891		
25	1224	0.040		
26	1222	0.139		
27	1225	0.631		
28	1226	1.747		
29	1229	1.097		
30	1228	0.020		
31	1227	0.080		
32	1179/1	0.022		
33	1179/2			
	कुल योग –	6.660		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 480–भू–अर्जन–2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

(1) भूमि का वर्णन :–

(क) जिला :– सीधी
(ख) तहसील :– गोपद बनास
(ग) ग्राम :– पडैनियाखुर्द
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर :– पडैनियाकला नं–74
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :– रकबा 0.375 हे0

क्र0	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे0 में	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	7	0.236	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा–सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
2	6	0.078		
3	78/1	0.061		
4	78/2			
5	78/3			
	कुल योग –	0.375		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 482-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

(1) भूमि का वर्णन :–

(क) जिला :– सीधी

(ख) तहसील :– गोपद बनास

(ग) ग्राम :– गाडा बबन सिंह

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर :– गाडा बबन सिंह नं–73

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :– रकबा 15.092 हे0

क्र0	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे0 में	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	837/1	0.315	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा–सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
2	837/2			
3	837/3			
4	837/4			
5	848/1	0.057		
6	848/2			
7	848/3			

8	849	0.028	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा–सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
9	850	0.064		
10	866	0.067		
11	867	0.069		
12	868/1	0.079		
13	868/2			
14	871/1	0.058		
15	871/2			
16	872	0.065		
17	874	0.019		
18	873/1	0.050		
19	873/2			
20	878/1	0.076		
21	878/2			
22	878/3			
23	878/4			
24	879/1	0.026		
25	879/2			
26	880	0.044		
27	881	0.047		
28	887	0.037		
29	889/1	0.030		
30	889/2			
31	889/3			
32	891	0.103		
33	893	0.076		
34	894/1	0.043		
35	894/2			
36	896	0.076		
37	897	0.093		
38	899	0.283		
39	1016	0.268		
40	1020/1	0.122		
41	1020/2	0.003		
42	1112/1	0.477		
43	1112/2	0.279		
44	1111/1	0.730		
45	1111/2	0.082		
46	1106	0.013		
47	1105	0.140		
48	1024	0.063		
49	1104/1	1.456		
50	1104/2			
51	1025/1	0.108		
52	1025/2			
53	1025/3			
54	1037/1	0.070		
55	1037/2			
56	1038	0.020		
57	1039/1	0.230		
58	1039/2			

59	1040	0.907	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा–सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
60	1103/1	1.213		
61	1103/2			
62	1103/3			
63	1041	0.070		
64	1043	0.188		
65	1102	1.298		
66	1042	0.211		
67	1074	0.160		
68	1075	0.103		
69	1076	0.138		
70	1201/1	0.089		
71	1101/1	0.080		
72	1101/2	0.245		
73	1099	0.250		
74	1100	0.032		
75	1098	0.030		
76	1097	0.420		
77	1096	0.650		
78	1077	0.358		
79	1093	0.823		
80	1078	0.041		
81	1095	0.159		
82	1094	0.060		
83	1092	0.060		
84	1089	0.010		
85	1090	0.534		
86	1084	0.010		
87	1083	0.112		
88	1079/मिन-1	0.007		
89	1079/2			
90	1081	0.620		
91	1284	0.080		
92	1021	0.036		
93	1085	0.197		
94	1268	0.035		
	कुल योग	15.092		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 484–भू–अर्जन–2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

(1) भूमि का वर्णन :–

(क) जिला :– सीधी

(ख) तहसील :– गोपद बनास

(ग) ग्राम :– विसैधाटोला

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर :– जोगीपुर नं–76

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :– रकबा 5.320 हे0

क्र0	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे0 में	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	9/1	0.201	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा–सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
2	9/2			
3	9/3			
4	9/4			
5	13	0.142		
6	14	0.075		
7	15	0.018		
8	22	0.011		
9	23	0.031		
10	24	0.005		

11	48	0.054	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा–सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
12	51	0.160		
13	55	0.239		
14	65	0.076		
15	66	0.137		
16	67	0.185		
17	68	0.090		
18	77	0.257		
19	78/2	0.012		
20	78/मिन-1	0.028		
21	88	0.040		
22	87	0.002		
23	90	0.108		
24	89	0.116		
25	72	0.240		
26	91	0.063		
27	92	0.453		
28	112	0.002		
29	111	0.035		
30	113	0.120		
31	114	0.056		
32	115	0.038		
33	116	0.030		
34	117	0.050		
35	284/1/2	0.186		
36	284/1/3			
37	284/2/2			
38	284/2/3			
39	284/2/4			
40	284/3			
41	284/4/2			
42	284/मिन-1			
43	284/मिन-2			
44	284/मिन-4			
45	285/1	0.152		
46	285/2/2			
47	285/3			
48	285/4			
49	285/मिन-2			
50	286/1			

50	286/1	0.059		
51	286/2			
52	286/3			
53	286/4			
54	286/5			
55	286/6			
56	286/7			
57	287/1	0.317		
58	287/2			
59	287/3			
60	287/4			
61	288/1/1	0.321	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा–सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
62	288/1/2			
63	288/1/3			
64	288/1/4			
65	288/2			
66	289	0.135		
67	290	0.062		
68	291	0.067		
69	297	0.060		
70	298	0.110		
71	293	0.082		
72	299	0.114		
73	300	0.100		
74	301	0.067		
75	302	0.042		
76	303	0.030		
77	79	0.012		
78	74	0.040		
79	75/2	0.004		
80	75/मिन-1	0.046		
81	73	0.150		
82	76	0.090		
कुल योग –		5.320		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 486-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला :– सीधी

(ख) तहसील :– बहरी

(ग) ग्राम :– मऊ

(घ) क्षेत्रफल :– **2.677 हे0**

क्र0	खसरा नं0	अर्जन हेतु रकवा हे0 में	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	109	0.086	उपमुख्य अभियंन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	सीधी–सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु।
2	108	0.027	-,,-	-,,-
3	106	0.090	-,,-	-,,-
4	105	0.049	-,,-	-,,-
5	104	0.066	-,,-	-,,-
6	100	0.043	-,,-	-,,-
7	101	0.062	-,,-	-,,-

8	103/मिन.1	0.143	-"-	-"-
9	103/मिन.2		-"-	-"-
10	103/मिन.3		-"-	-"-
11	102	0.060	-"-	-"-
12	98	0.004	-"-	-"-
13	117	0.051	-"-	-"-
14	120	0.054	-"-	-"-
15	121	0.106	-"-	-"-
16	82/1	0.117	-"-	-"-
17	82/2		-"-	-"-
18	122/1	0.030	-"-	-"-
19	122/2		-"-	-"-
20	123/मिन.1	0.164	-"-	-"-
21	123/मिन.2		-"-	-"-
22	150	0.042	-"-	-"-
23	151	0.042	-"-	-"-
24	79	0.072	-"-	-"-
25	152	0.023	-"-	-"-
26	77	0.004	-"-	-"-
27	78	0.030	-"-	-"-
28	155	0.018	-"-	-"-
29	170	0.056	-"-	-"-
30	157/306	0.016	-"-	-"-
31	158	0.006	-"-	-"-
32	159	0.006	-"-	-"-
33	161	0.082	-"-	-"-
34	162	0.090	-"-	-"-
35	163/2	0.083	-"-	-"-
36	163/मिन.1		-"-	-"-
37	163/मिन.2		-"-	-"-
38	165	0.025	-"-	-"-
39	164	0.058	-"-	-"-
40	280/मिन.1	0.161	-"-	-"-
41	279/मिन.1	0.015	-"-	-"-
42	281	0.160	-"-	-"-
43	282	0.064	-"-	-"-
44	301/मिन.1/1	0.340	-"-	-"-
45	301/मिन.1/2		-"-	-"-
46	302/2	0.132	-"-	-"-
कुल योग–		2.677		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 487–भू–अर्जन–2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला :– सीधी

(ख) तहसील :– बहरी

(ग) ग्राम :– कुचवाही

(घ) क्षेत्रफल :– 4.434 हे0

क्र0	खसरा नं0	अर्जन हेतु रकवा हे0 में	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	85	0.760	उपमुख्य अभियंन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	सीधी–सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु।
2	87	0.048		
3	86	0.012	-,,-	-,,-
4	92	0.006	-,,-	-,,-
5	93	0.017	-,,-	-,,-
6	99	0.215	-,,-	-,,-
7	103	0.015	-,,-	-,,-
8	104	0.098	-,,-	-,,-
9	105	0.039	-,,-	-,,-
10	119	0.016	-,,-	-,,-
11	120	0.061	-,,-	-,,-
12	121	0.035	-,,-	-,,-
13	122	0.080	-,,-	-,,-
14	123	0.027	-,,-	-,,-
15	128	0.034	-,,-	-,,-
16	126	0.040	-,,-	-,,-
17	125	0.008	-,,-	-,,-
18	127	0.120	-,,-	-,,-

19	129	0.009	-,,-	-,,-
20	127/1517	0.064	-,,-	-,,-
21	221	0.060	-,,-	-,,-
22	222/मिन -1	0.016	-,,-	-,,-
23	222/मिन -1		-,,-	-,,-
24	220	0.029	-,,-	-,,-
25	133	0.260	-,,-	-,,-
26	218	0.112	-,,-	-,,-
27	151	0.103	-,,-	-,,-
28	217	0.039	-,,-	-,,-
29	154	0.322	-,,-	-,,-
30	203	0.020	-,,-	-,,-
31	204	0.016	-,,-	-,,-
32	202	0.026	-,,-	-,,-
33	290	0.001	-,,-	-,,-
34	171	0.472	-,,-	-,,-
35	172	0.565	-,,-	-,,-
36	167/1	0.189	-,,-	-,,-
37	167/2		-,,-	-,,-
38	175/1	0.370	-,,-	-,,-
39	175/2		-,,-	-,,-
40	176	0.034	-,,-	-,,-
41	166	0.004	-,,-	-,,-
42	165/1	0.092	-,,-	-,,-
43	165/2		-,,-	-,,-
कुल योग–		4.434		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 489–भू–अर्जन–2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला :– सीधी

(ख) तहसील :– बहरी

(ग) ग्राम :– कुशियारी

(घ) क्षेत्रफल :– 5.472 है.

क्र0	खसरा नं0	अर्जन हेतु रकवा हे0 में	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	582	0.071	उपमुख्य अभियंन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	सीधी–सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु।
2	583	0.016		
3	581	0.122	-,,-	-,,-
4	584	0.125	-,,-	-,,-
5	580	0.030	-,,-	-,,-
6	586	0.202	-,,-	-,,-
7	573	0.709	-,,-	-,,-
8	568	0.037	-,,-	-,,-
9	571	0.043	-,,-	-,,-
10	572	0.038	-,,-	-,,-

11	614	0.150	-,,-	-,,-
12	618	0.204	-,,-	-,,-
13	620	0.249	-,,-	-,,-
14	621	0.131	-,,-	-,,-
15	619	0.026	-,,-	-,,-
16	635	0.009	-,,-	-,,-
17	622	0.180	-,,-	-,,-
18	623	0.075	-,,-	-,,-
19	626	0.064	-,,-	-,,-
20	625/1	0.060	-,,-	-,,-
21	625/2		-,,-	-,,-
22	629/1	0.059	-,,-	-,,-
23	629/2		-,,-	-,,-
24	627	0.160	-,,-	-,,-
25	632	0.069	-,,-	-,,-
26	631/1	0.092	-,,-	-,,-
27	631/2		-,,-	-,,-
28	699	0.114	-,,-	-,,-
29	698/1	0.108	-,,-	-,,-
30	698/2		-,,-	-,,-
31	697	0.147	-,,-	-,,-
32	696	0.050	-,,-	-,,-
33	658	0.105	-,,-	-,,-
34	662	0.004	-,,-	-,,-
35	695	0.060	-,,-	-,,-
36	664	1.452	-,,-	-,,-
37	678	0.140	-,,-	-,,-
38	677	0.100	-,,-	-,,-
39	676	0.196	-,,-	-,,-
40	674	0.015	-,,-	-,,-
41	630/1	0.053	-,,-	-,,-
42	630/2		-,,-	-,,-
43	633	0.006	-,,-	-,,-
44	694	0.001	-,,-	-,,-
कुल योग–		5.472		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 491–भू–अर्जन–2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला :– सीधी

(ख) तहसील :– बहरी

(ग) ग्राम :– पताई

(घ) क्षेत्रफल :– **3.258**

क्र0	खसरा नं0	अर्जन हेतु रकवा हे0 में	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	280/1	0.084	उपमुख्य अभियंन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	सीधी–सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु।
2	280/2		-,,-	-,,-
3	279	0.130	-,,-	-,,-
4	281	0.001	-,,-	-,,-
5	282/1	0.051	-,,-	-,,-
6	282/2		-,,-	-,,-
7	283	0.116	-,,-	-,,-

8	277	0.008	-"-	-"-
9	269	0.046	-"-	-"-
10	267/1	0.002	-"-	-"-
11	267/2		-"-	-"-
12	263	0.130	-"-	-"-
13	268	0.011	-"-	-"-
14	664	0.064	-"-	-"-
15	254/1	0.270	-"-	-"-
16	254/2		-"-	-"-
17	257	0.001	-"-	-"-
18	259/1/1	0.377	-"-	-"-
19	259/1/2		-"-	-"-
20	259/1/3		-"-	-"-
21	259/1/4		-"-	-"-
22	259/1/5		-"-	-"-
23	259/1/6		-"-	-"-
24	259/1/7		-"-	-"-
25	259/1/8		-"-	-"-
26	259/1/9		-"-	-"-
27	259/1/10		-"-	-"-
28	259/1/11		-"-	-"-
29	259/1/12		-"-	-"-
30	259/1/13		-"-	-"-
31	259/2		-"-	-"-
32	291	0.134	-"-	-"-
33	292/1	0.050	-"-	-"-
34	292/2		-"-	-"-
35	292/3		-"-	-"-
36	293/1/1/मिन.1	0.148	-"-	-"-
37	293/1/2		-"-	-"-
38	293/1/3		-"-	-"-
39	293/2/मिन.1		-"-	-"-
40	293/3		-"-	-"-
41	297	0.058	-"-	-"-
42	512	0.365	-"-	-"-
43	511	0.174	-"-	-"-
44	508	0.002	-"-	-"-
45	510/1	0.135	-"-	-"-
46	510/2		-"-	-"-
47	519	0.070	-"-	-"-
48	518	0.023	-"-	-"-
49	525	0.036	-"-	-"-
50	524	0.044	-"-	-"-
51	520	0.070	-"-	-"-
52	521	0.012	-"-	-"-
53	522	0.031	-"-	-"-
54	529	0.030	-"-	-"-
55	530	0.040	-"-	-"-
56	531	0.022	-"-	-"-
57	532	0.034	-"-	-"-
58	534	0.020	-"-	-"-

59	536	0.022	-,,-	-,,-
60	533	0.050	-,,-	-,,-
61	451	0.033	-,,-	-,,-
62	489	0.021	-,,-	-,,-
63	492	0.002	-,,-	-,,-
64	494	0.011	-,,-	-,,-
65	496	0.020	-,,-	-,,-
66	497	0.065	-,,-	-,,-
67	498	0.002	-,,-	-,,-
68	495	0.240	-,,-	-,,-
69	528	0.003	-,,-	-,,-
	कुल योग–	**3.258**		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 493–भू–अर्जन–2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला :– सीधी

(ख) तहसील :– बहरी

(ग) ग्राम :– बहेरा

(घ) क्षेत्रफल :– **2.396 हे0**

क्र0	खसरा नं0	अर्जन हेतु रकवा हे0 में	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	53/1	0.097	उपमुख्य अभियंन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	सीधी–सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु।
2	53/2		-,,-	-,,-
3	54	0.095	-,,-	-,,-
4	55	0.050	-,,-	-,,-
5	79	0.107	-,,-	-,,-
6	84	0.042	-,,-	-,,-
7	78	0.230	-,,-	-,,-
8	77	0.164	-,,-	-,,-
9	76	0.247	-,,-	-,,-
10	86	0.003	-,,-	-,,-
11	75	0.080	-,,-	-,,-
12	62	0.009	-,,-	-,,-
13	74	0.259	-,,-	-,,-
14	87	0.031	-,,-	-,,-
15	71	0.050	-,,-	-,,-
16	70	0.027	-,,-	-,,-
17	69	0.043	-,,-	-,,-
18	68	0.286	-,,-	-,,-
19	72	0.227	-,,-	-,,-
20	73	0.169	-,,-	-,,-
21	98	0.019	-,,-	-,,-
22	56	0.161	-,,-	-,,-
कुल योग–		2.396		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 495–भू–अर्जन–2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला :– सीधी

(ख) तहसील :– बहरी

(ग) ग्राम :– बहेरा–685

(घ) क्षेत्रफल :– **4.513**

क्र0	खसरा नं0	अर्जन हेतु रकवा हे0 में	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	401/1	0.603	उपमुख्य अभियंन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	सीधी–सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु।
2	401/2		-"-	-"-
3	401/3		-"-	-"-
4	401/4		-"-	-"-
5	401/5/1		-"-	-"-
6	401/5/2		-"-	-"-
7	401/5/3		-"-	-"-

8	401/5/4/मिन. 1		""	""
9	401/5/4/मिन. 2		""	""
10	402/1	0.091	""	""
11	402/2		""	""
12	403	0.200	""	""
13	404	0.129	""	""
14	405	0.015	""	""
15	443/1/क/2	0.329	""	""
16	443/1/क/मिन. 1		""	""
17	443/1/क/मिन. 2		""	""
18	443/1/क/मिन. 3		""	""
19	443/1/ख		""	""
20	443/2		""	""
21	372	0.008	""	""
22	371	0.016	""	""
23	370	0.016	""	""
24	369	0.009	""	""
25	368	0.021	""	""
26	367	0.022	""	""
27	366	0.010	""	""
28	365	0.053	""	""
29	364	0.039	""	""
30	363	0.020	""	""
31	362	0.030	""	""
32	361	0.050	""	""
33	360	0.012	""	""
34	358	0.027	""	""
35	357	0.040	""	""
36	356	0.080	""	""
37	355	0.029	""	""
38	354	0.110	""	""
39	353	0.306	""	""
40	352	0.106	""	""

41	349/1	0.036	-"-	-"-
42	349/मिन.1		-"-	-"-
43	346	0.041	-"-	-"-
44	342/2	0.006	-"-	-"-
45	342/मिन.1		-"-	-"-
46	347	0.160	-"-	-"-
47	348	0.210	-"-	-"-
48	311	0.036	-"-	-"-
49	312	0.055	-"-	-"-
50	313	0.101	-"-	-"-
51	314	0.110	-"-	-"-
52	315/1	0.146	-"-	-"-
53	315/मिन.1		-"-	-"-
54	316	0.110	-"-	-"-
55	317	0.086	-"-	-"-
56	318	0.058	-"-	-"-
57	319	0.038	-"-	-"-
58	292	0.150	-"-	-"-
59	293	0.100	-"-	-"-
60	294	0.100	-"-	-"-
61	295	0.110	-"-	-"-
62	296	0.092	-"-	-"-
63	297	0.001	-"-	-"-
64	298	0.025	-"-	-"-
65	288/1	0.043	-"-	-"-
66	288/मिन/1		-"-	-"-
67	289	0.072	-"-	-"-
68	290	0.040	-"-	-"-
69	291	0.070	-"-	-"-
70	286	0.132	-"-	-"-
71	285/1	0.014	-"-	-"-
72	285/2		-"-	-"-
	कुल योग–	4.513		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 497–भू–अर्जन–2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला :– सीधी

(ख) तहसील :– बहरी

(ग) ग्राम :– खैरहा

(घ) क्षेत्रफल :– **2.939 हे0**

क्र0	खसरा नं0	अर्जन हेतु रकवा हे0 में	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	77	0.257	उपमुख्य अभियंन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	सीधी–सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु।
2	78/1	0.261	-,,-	-,,-
3	78/2		-,,-	-,,-
4	79	0.197	-,,-	-,,-
5	80	0.253	-,,-	-,,-
6	81/1	0.212	-,,-	-,,-
7	81/2		-,,-	-,,-
8	81/3		-,,-	-,,-

9	81/4		-,,-	-,,-
10	88/1	0.289	-,,-	-,,-
11	88/2		-,,-	-,,-
12	89/1/1	0.030	-,,-	-,,-
13	89/1/2		-,,-	-,,-
14	89/1/3		-,,-	-,,-
15	89/1/4		-,,-	-,,-
16	89/1/5		-,,-	-,,-
17	89/2		-,,-	-,,-
18	92/1	0.358	-,,-	-,,-
19	92/2		-,,-	-,,-
20	93	0.010	-,,-	-,,-
21	95/1	0.557	-,,-	-,,-
22	95/2/1		-,,-	-,,-
23	95/2/2		-,,-	-,,-
24	97/1	0.290	-,,-	-,,-
25	97/2		-,,-	-,,-
26	99/1	0.029	-,,-	-,,-
27	99/2		-,,-	-,,-
28	98/1	0.019	-,,-	-,,-
29	98/2		-,,-	-,,-
30	61	0.032	-,,-	-,,-
31	60	0.145	-,,-	-,,-
कुल योग–		2.939		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 499–भू–अर्जन–2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला :– सीधी

(ख) तहसील :– बहरी

(ग) ग्राम :– करौंदी

(घ) क्षेत्रफल :– **2.363 हे0**

क्र0	खसरा नं0	अर्जन हेतु रकवा हे0 में	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	274	0.012	उपमुख्य अभियंन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	सीधी–सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु।
2	275	0.126	-,,-	-,,-
3	341	0.044	-,,-	-,,-
4	343/1	0.023	-,,-	-,,-
5	343/2		-,,-	-,,-
6	346	0.027	-,,-	-,,-
7	345/1	0.406	-,,-	-,,-
8	345/2		-,,-	-,,-
9	344	0.079	-,,-	-,,-
10	348/1	0.041	-,,-	-,,-
11	348/2		-,,-	-,,-
12	349/1	0.670	-,,-	-,,-
13	349/2		-,,-	-,,-
14	360/1	0.004	-,,-	-,,-
15	360/2		-,,-	-,,-
16	350	0.060	-,,-	-,,-
17	351	0.120	-,,-	-,,-
18	353	0.164	-,,-	-,,-
19	354	0.124	-,,-	-,,-
20	358	0.161	-,,-	-,,-
21	355	0.050	-,,-	-,,-
22	366	0.104	-,,-	-,,-
23	368	0.007	-,,-	-,,-
24	352	0.070	-,,-	-,,-
25	420	0.071	"	"
कुल योग–		2.363		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 501-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला :– सीधी

(ख) तहसील :– बहरी

(ग) ग्राम :– मटिहनी

(घ) क्षेत्रफल :– **10.216 हे0**

क्र0	खसरा नं0	अर्जन हेतु रकवा हे0 में	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	130	0.081	उपमुख्य अभियंन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	सीधी–सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु।
2	129	0.019	-,,-	-,,-
3	128	0.008	-,,-	-,,-
4	126	0.001	-,,-	-,,-
5	103	0.130	-,,-	-,,-
6	104	0.210	-,,-	-,,-
7	106	0.198	-,,-	-,,-
8	107	0.115	-,,-	-,,-
9	125	0.030	-,,-	-,,-
10	127	0.237	-,,-	-,,-

11	108	0.464	उपमुख्य अभियंन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	सीधी–सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु।
12	109	0.206		
13	110	0.205	-,,-	-,,-
14	111	0.138	-,,-	-,,-
15	112	0.404	-,,-	-,,-
16	113/1	0.241	-,,-	-,,-
17	113/2		-,,-	-,,-
18	114	0.089	-,,-	-,,-
19	115/1	0.170	-,,-	-,,-
20	115/2		-,,-	-,,-
21	116	0.071	-,,-	-,,-
22	117	0.556	-,,-	-,,-
23	118	0.450	-,,-	-,,-
24	92	0.047	-,,-	-,,-
25	90	0.117	-,,-	-,,-
26	89	0.180	-,,-	-,,-
27	86	0.006	-,,-	-,,-
28	87	0.155	-,,-	-,,-
29	88	0.108	-,,-	-,,-
30	202	0.246	-,,-	-,,-
31	201	0.006	-,,-	-,,-
32	203	0.177	-,,-	-,,-
33	204/मिन-1	0.074	-,,-	-,,-
34	204/मिन-2		-,,-	-,,-
35	205	0.283	-,,-	-,,-
36	85	0.092	-,,-	-,,-
37	60	0.938	-,,-	-,,-
38	222	0.281	-,,-	-,,-
39	223	0.239	-,,-	-,,-
40	224	0.169	-,,-	-,,-
41	53	0.248	-,,-	-,,-
42	52	0.165	-,,-	-,,-
43	55	0.015	-,,-	-,,-
44	54	0.184	-,,-	-,,-
45	15	0.088	-,,-	-,,-
46	51	0.203	-,,-	-,,-
47	49	0.407	-,,-	-,,-
48	50	0.328	-,,-	-,,-
49	24	0.078	-,,-	-,,-
50	22/1	0.500	-,,-	-,,-
51	23	0.580	-,,-	-,,-
52	27	0.030	-,,-	-,,-
53	26	0.234	-,,-	-,,-
54	122	0.015	-,,-	-,,-
कुल योग–		10.216		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 503–भू–अर्जन–2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला :– सीधी

(ख) तहसील :– बहरी

(ग) ग्राम :– केशवाही

(घ) क्षेत्रफल :– **4.028 हे0**

क्र0	खसरा नं0	अर्जन हेतु रकवा हे0 में	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	161	0.050	उपमुख्य अभियंन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	सीधी–सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु।
2	159/1	0.189	-,,-	-,,-
	158	0.141	-,,-	-,,-
	156	0.057	-,,-	-,,-
5	4	0.061	-,,-	-,,-
6	8/1/क	0.101	-,,-	-,,-
7	8/1/ख		-,,-	-,,-

8	8/2/मिन.1	0.064	-"-	-"-
9	8/2/मिन.2		-"-	-"-
10	8/2/मिन.3		-"-	-"-
11	8/2/मिन.4		-"-	-"-
12	8/2/मिन.5		-"-	-"-
13	8/2/मिन.6		-"-	-"-
14	8/2/मिन.7		-"-	-"-
15	8/2/मिन.8		-"-	-"-
16	8/2/मिन.9		-"-	-"-
17	8/2/मिन.10		-"-	-"-
18	8/2/मिन.11		-"-	-"-
19	8/2/मिन.12		-"-	-"-
20	8/2/मिन.13		-"-	-"-
21	8/2/मिन.14		-"-	-"-
22	8/2/मिन.15		-"-	-"-
23	8/2/मिन.16		-"-	-"-
24	8/2/मिन.17		-"-	-"-
25	8/2/मिन.18		-"-	-"-
26	6	0.453	-"-	-"-
27	15/1	0.155	-"-	-"-
28	15/2		-"-	-"-
29	15/3		-"-	-"-
30	15/4		-"-	-"-
31	14/1/मिन.1	0.080	-"-	-"-
32	14/1/मिन.2		-"-	-"-
33	14/1/मिन.3		-"-	-"-
34	14/1/मिन.4		-"-	-"-
35	14/1/मिन.5		-"-	-"-
36	14/1/मिन.6		-"-	-"-
37	14/1/मिन.7		-"-	-"-
38	14/1/मिन.8		-"-	-"-
39	14/1/मिन.9		-"-	-"-
40	14/1/मिन.10		-"-	-"-
41	14/1/मिन.11		-"-	-"-
42	14/1/मिन.12		-"-	-"-
43	14/2/मिन.1		-"-	-"-
44	14/2/मिन.2		-"-	-"-
45	34/मिन. 1/1/1	0.001	-"-	-"-
46	34/मिन. 1/1/2		-"-	-"-
47	34/मिन.1/2		-"-	-"-
48	34/मिन.2		-"-	-"-
49	34/मिन.3		-"-	-"-
50	34/मिन.4		-"-	-"-
51	34/मिन.5		-"-	-"-
52	34/मिन.6		-"-	-"-
53	33	0.006	-"-	-"-
54	35/1	0.056	-"-	-"-
55	35/2		-"-	-"-
56	35/3		-"-	-"-

57	30/1	0.015	-"-	-"-
58	30/2/1		-"-	-"-
59	30/2/2		-"-	-"-
60	30/3		-"-	-"-
61	36/5	0.065	-"-	-"-
62	36/मिन.1		-"-	-"-
63	36/मिन.2/1		-"-	-"-
64	36/मिन.2/2		-"-	-"-
65	36/मिन.3		-"-	-"-
66	36/मिन.4		-"-	-"-
67	36/मिन.5/1		-"-	-"-
68	36/मिन.5/2		-"-	-"-
69	36/मिन.6		-"-	-"-
70	28/1	0.054	-"-	-"-
71	28/2		-"-	-"-
72	28/3		-"-	-"-
73	28/4		-"-	-"-
74	28/5		-"-	-"-
75	28/6		-"-	-"-
76	37	0.123	-"-	-"-
77	43	0.121	-"-	-"-
78	38	0.059	-"-	-"-
79	42	0.051	-"-	-"-
80	44/1	0.050	-"-	-"-
81	44/2		-"-	-"-
82	48/1	0.024	-"-	-"-
83	48/2	0.044	-"-	-"-
84	47	0.060	-"-	-"-
85	51/1	0.085	-"-	-"-
86	51/2	0.039	-"-	-"-
87	52	0.025	-"-	-"-
88	53	0.038	-"-	-"-
89	55/1	0.028	-"-	-"-
90	55/2		-"-	-"-
91	55/3		-"-	-"-
92	56/1	0.275	-"-	-"-
93	56/2		-"-	-"-
94	56/3		-"-	-"-
95	56/4		-"-	-"-
96	57	0.012	-"-	-"-
97	59	0.023	-"-	-"-
98	137	0.028	-"-	-"-
99	136	0.019	-"-	-"-
100	83/मिन.1/1	0.035	-"-	-"-
101	83/मिन.1/2		-"-	-"-
102	83/मिन.1/3		-"-	-"-
103	83/मिन.1/4		-"-	-"-
104	83/मिन.2		-"-	-"-
105	82/1/1	0.069	-"-	-"-
106	82/1/2		-"-	-"-
107	82/1/3		-"-	-"-
108	82/2		-"-	-"-
109	71	0.123	-"-	-"-
110	72	0.122	-"-	-"-
111	73	0.292	-"-	-"-
112	77/1/1	0.182	-"-	-"-
113	77/1/2		-"-	-"-
114	77/2		-"-	-"-
115	77/3		-"-	-"-
116	77/4/1		-"-	-"-
117	77/4/2		-"-	-"-
118	77/4/3		-"-	-"-
119	77/4/4		-"-	-"-
120	95	0.158	-"-	-"-
121	96	0.395	-"-	-"-
कुल योग–		4.028		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 505–भू–अर्जन–2019 सीधी, दिनांक 19 सितम्बर 2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या मे होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला :– सीधी

(ख) तहसील :– बहरी

(ग) ग्राम :– गजरही उन्मुक्त

(घ) क्षेत्रफल :– **18.707 हे0**

क्र0	खसरा नं0	अर्जन हेतु रकवा हे0 में	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	649/1	0.029	उपमुख्य अभियंन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	सीधी–सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु।
2	649/2		-,,-	-,,-
3	646	0.040	-,,-	-,,-
4	645	0.048	-,,-	-,,-
5	643	0.956	-,,-	-,,-
6	644	0.007	-,,-	-,,-
7	655	0.131	-,,-	-,,-
8	656	0.011	-,,-	-,,-
9	657	0.218	-,,-	-,,-

10	642	0.359	-"-	-"-
11	628	0.006	-"-	-"-
12	627 / मिन.1	0.015	-"-	-"-
13	627 / मिन.2		-"-	-"-
14	627 / मिन.3		-"-	-"-
15	658	0.160	-"-	-"-
16	659	0.104	-"-	-"-
17	666	0.203	-"-	-"-
18	626	0.280	-"-	-"-
19	625 / मिन.1	0.330	-"-	-"-
20	625 / मिन.2		-"-	-"-
21	625 / मिन.3		-"-	-"-
22	624	0.020	-"-	-"-
23	623	0.030	-"-	-"-
24	622 / मिन.1	1.105	-"-	-"-
25	622 / मिन.2		-"-	-"-
26	622 / मिन.3		-"-	-"-
27	321 / मिन.1	0.200	-"-	-"-
28	321 / मिन.2		-"-	-"-
29	322 / 1	0.736	-"-	-"-
30	322 / 2		-"-	-"-
31	322 / 3		-"-	-"-
32	302 / मिन.1	0.045	-"-	-"-
33	302 / मिन.2		-"-	-"-
34	303	0.029	-"-	-"-
35	304	0.017	-"-	-"-
36	306	0.174	-"-	-"-
37	667	0.039	-"-	-"-
38	620	0.285	-"-	-"-
39	621	0.010	-"-	-"-
40	565	0.027	-"-	-"-
41	566	0.287	-"-	-"-
42	567	0.140	-"-	-"-
43	601	0.350	-"-	-"-
44	567 / 834	0.030	-"-	-"-
45	568	0.003	-"-	-"-
46	600 / 832 / मिन.1	0.018	-"-	-"-
47	600 / 832 / मिन.2		-"-	-"-
48	600 / 2 / 1	0.600	-"-	-"-
49	600 / 2 / 2		-"-	-"-
50	600 / 3		-"-	-"-
51	600 / मिन.1		-"-	-"-
52	598	0.054	-"-	-"-
53	597	0.055	-"-	-"-
54	591	0.170	-"-	-"-
55	589	0.003	-"-	-"-
56	593	0.008	-"-	-"-
57	592	0.069	-"-	-"-
58	596	0.250	-"-	-"-
59	618	0.130	-"-	-"-
60	613	0.274	-"-	-"-

61	617	0.032	-"-	-"-
62	616	0.257	-"-	-"-
63	595	0.161	-"-	-"-
64	606	0.113	-"-	-"-
65	615	0.024	-"-	-"-
66	610	0.012	-"-	-"-
67	607 / मिन.1	0.262	-"-	-"-
68	607 / मिन.2		-"-	-"-
69	604	0.130	-"-	-"-
70	468 / 1	0.006	-"-	-"-
71	468 / 2		-"-	-"-
72	466	0.059	-"-	-"-
73	467	0.050	-"-	-"-
74	465	0.126	-"-	-"-
75	463	0.105	-"-	-"-
76	462	0.014	-"-	-"-
77	359	0.442	-"-	-"-
78	365	0.766	-"-	-"-
79	368	0.095	-"-	-"-
80	360	0.043	-"-	-"-
81	361 / 1	0.188	-"-	-"-
82	361 / 2		-"-	-"-
83	340	0.007	-"-	-"-
84	362	0.061	-"-	-"-
85	363 / मिन.1	0.313	-"-	-"-
86	363 / मिन.2		-"-	-"-
87	364	0.118	-"-	-"-
88	371	0.101	-"-	-"-
89	372	0.026	-"-	-"-
90	324	0.172	-"-	-"-
91	325 / 1	0.260	-"-	-"-
92	325 / 2 / 1		-"-	-"-
93	325 / 2 / 2		-"-	-"-
94	325 / 3		-"-	-"-
95	326	0.254	-"-	-"-
96	327	0.040	-"-	-"-
97	328	0.097	-"-	-"-
98	329	0.186	-"-	-"-
99	330	0.071	-"-	-"-
100	331	0.058	-"-	-"-
101	332	0.261	-"-	-"-
102	307	1.171	-"-	-"-
103	310	0.131	-"-	-"-
104	311 / 3 / 1	0.516	-"-	-"-
105	311 / 3 / 2		-"-	-"-
106	311 / मिन.1		-"-	-"-
107	311 / मिन.2		-"-	-"-
108	283 / मिन.1	0.655	-"-	-"-
109	283 / मिन.2		-"-	-"-
110	283 / मिन.3		-"-	-"-
111	280	0.119	-"-	-"-

112	279 / 1	0.374	-"-	-"-
113	279 / 2		-"-	-"-
114	278	0.056	-"-	-"-
115	284 / मिन.1	0.007	-"-	-"-
116	284 / मिन.2		-"-	-"-
117	285	0.018	-"-	-"-
118	287 / मिन.1	0.002	-"-	-"-
119	287 / मिन.2		-"-	-"-
120	273	0.018	-"-	-"-
121	274 / मिन.1	0.524	-"-	-"-
122	274 / मिन.2		-"-	-"-
123	274 / मिन.3 / 1		-"-	-"-
124	274 / मिन.3 / 2		-"-	-"-
125	275 / 1	0.169	-"-	-"-
126	275 / 2		-"-	-"-
127	275 / 3		-"-	-"-
128	251	0.073	-"-	-"-
129	210	0.126	-"-	-"-
130	202 / मिन.1	0.001	-"-	-"-
131	202 / मिन.2		-"-	-"-
132	250 / मिन.1	0.160	-"-	-"-
133	250 / मिन.2		-"-	-"-
134	250 / मिन.3		-"-	-"-
135	211	0.039	-"-	-"-
136	209	0.837	-"-	-"-
137	208 / 1	0.147	-"-	-"-
138	208 / 2		-"-	-"-
139	207	0.017	-"-	-"-
140	216 / 1 / 1	0.154	-"-	-"-
141	216 / 1 / 2		-"-	-"-
142	216 / 1 / 3		-"-	-"-
143	216 / 1 / 4		-"-	-"-
144	216 / 1 / 5		-"-	-"-
145	216 / 1 / 6		-"-	-"-
146	216 / 2 / 1		-"-	-"-
147	216 / 2 / 2		-"-	-"-
148	216 / 3		-"-	-"-
149	216 / 4		-"-	-"-
150	216 / 5		-"-	-"-
151	216 / 6		-"-	-"-
152	216 / 7		-"-	-"-
153	218	0.105	-"-	-"-
154	218 / 842 / 1	0.090	-"-	-"-
155	218 / 842 / 2		-"-	-"-
156	219 / 1 / 1	0.233	-"-	-"-
157	219 / 1 / 2		-"-	-"-
158	219 / 1 / 3		-"-	-"-
159	219 / 1 / 4		-"-	-"-
160	219 / 1 / 5		-"-	-"-
161	219 / 1 / 6		-"-	-"-
162	219 / 1 / 7		-"-	-"-

163	219/1/8		-"-	-"-
164	219/1/9		-"-	-"-
165	219/1/10		-"-	-"-
166	219/1/11		-"-	-"-
167	219/1/12		-"-	-"-
168	219/1/13		-"-	-"-
169	219/2/1		-"-	-"-
170	219/2/2		-"-	-"-
171	219/3/1		-"-	-"-
172	219/3/2		-"-	-"-
173	219/3/3		-"-	-"-
174	219/3/4		-"-	-"-
175	219/4/1		-"-	-"-
176	219/4/2		-"-	-"-
कुल योग–		18.707		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल
के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 507–भू–अर्जन–2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितें से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

भूमि का वर्णनः–
(क) जिला :– सीधी
(ख) तहसील :– बहरी
(ग) ग्राम :– बहरी
(घ) क्षेत्रफल :– 18.963 हे0

क्र0	खसरा नं0	अर्जन हेतु रकवा हे0 में	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	84	0.019	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	सीधी–सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु।
2	83	0.014		
3	85	0.252	-"-	-"-
4	115	0.002	-"-	-"-
5	114	0.048	-"-	-"-

6	86	0.035	""	""
7	87	0.002	""	""
8	90	0.168	""	""
9	91	0.030	""	""
10	92	0.065	""	""
11	93	0.046	""	""
12	94	0.019	""	""
13	95	0.015	""	""
14	89	0.028	""	""
15	170	0.075	""	""
16	177	0.131	""	""
17	176	0.007	""	""
18	178/मिन.1	0.104	""	""
19	178/मिन.2		""	""
20	181	0.105	""	""
21	179	0.105	""	""
22	180	0.109	""	""
23	183/1	0.182	""	""
24	183/2		""	""
25	183/3		""	""
26	184	0.138	""	""
27	185	0.099	""	""
28	190/मिन.1	0.048	""	""
29	189	0.002	""	""
30	186	0.006	""	""
31	439/मिन.1	0.093	""	""
32	439/मिन.2		""	""
33	439/मिन.3		""	""
34	439/मिन.4		""	""
35	440	0.371	""	""
36	536/मिन.1	0.163	""	""
37	537	0.024	""	""
38	538	0.081	""	""
39	539	0.328	""	""
40	581	0.267	""	""
41	540/1	0.160	""	""
42	540/2	0.132	""	""
43	540/3	0.117	""	""
44	540/4	0.083	""	""
45	580	0.025	""	""
46	579	0.265	""	""
47	575	0.079	""	""
48	576	0.176	""	""
49	578	0.178	""	""
50	590/मिन.1	0.283	""	""
51	590/मिन.2		""	""
52	589	0.128	""	""
53	588/मिन.1	0.017	""	""
54	588/मिन.2		""	""
55	587	0.016	""	""
56	577/मिन.1	0.140	""	""
57	577/मिन.2		""	""
58	574/मिन.1	0.235	""	""
59	574/मिन.2		""	""
60	591	0.455	""	""
61	573/2	0.067	""	""
62	572	0.702	""	""
63	592	0.016	""	""
64	571	0.029	""	""
65	570	0.028	""	""
66	569/1	0.083	""	""

67	569/2	0.387	-"-	-"-
68	613/मिन.1	0.001	-"-	-"-
69	613/मिन.2		-"-	-"-
70	567	0.060	-"-	-"-
71	566/मिन.1	0.521	-"-	-"-
72	566/मिन.2		-"-	-"-
73	566/मिन.3		-"-	-"-
74	614/मिन.1	0.046	-"-	-"-
75	614/मिन.2		-"-	-"-
76	632	0.032	-"-	-"-
77	633	0.140	-"-	-"-
78	635/मिन.1	0.035	-"-	-"-
79	635/मिन.2		-"-	-"-
80	635/मिन.3		-"-	-"-
81	635/मिन.4		-"-	-"-
82	634/मिन.1	0.247	-"-	-"-
83	634/मिन.2		-"-	-"-
84	634/मिन.3		-"-	-"-
85	634/मिन.4		-"-	-"-
86	631	0.341	-"-	-"-
87	637/1	0.009	-"-	-"-
88	637/2		-"-	-"-
89	637/3		-"-	-"-
90	637/4		-"-	-"-
91	643	0.076	-"-	-"-
92	642/क	0.393	-"-	-"-
93	647	3.142	-"-	-"-
94	815/1/क	5.452	-"-	-"-
95	815/2/क		-"-	-"-
96	815/2/ख		-"-	-"-
97	815/2/ग		-"-	-"-
98	815/2/घ		-"-	-"-
99	815/2/ङ		-"-	-"-
100	815/2/च		-"-	-"-
101	815/3		-"-	-"-
102	815/5		-"-	-"-
103	815/6		-"-	-"-
104	816/मिन.2	1.446	-"-	-"-
105	816/मिन.3		-"-	-"-
106	182/मिन.1	0.040	-"-	-"-
107	182/मिन.2		-"-	-"-
कुल योग–		18.963		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 509–भू–अर्जन–2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला :– सीधी

(ख) तहसील :– बहरी

(ग) ग्राम :– देवरी

(घ) क्षेत्रफल :– **1.703 हे0**

क्र0	खसरा नं0	अर्जन हेतु रकवा हे0 में	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	11/1	0.628	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	सीधी–सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु।
2	11/2			
3	12	0.135	-,,-	-,,-
4	14	0.021	-,,-	-,,-
5	9	0.011	-,,-	-,,-
6	10	0.221	-,,-	-,,-
7	5/1	0.155	-,,-	-,,-
8	5/2		-,,-	-,,-
9	5/3		-,,-	-,,-
10	4/2	0.100	-,,-	-,,-
11	7	0.008	-,,-	-,,-
12	6	0.050	-,,-	-,,-
13	8	0.003	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	सीधी–सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु।
14	250/1	0.341		
15	250/2		-,,-	-,,-
16	251	0.030	-,,-	-,,-
कुल योग–		1.703	-	-

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 511-भू-अर्जन-2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला :– सीधी

(ख) तहसील :– बहरी

(ग) ग्राम :– चन्दवाही

(घ) क्षेत्रफल :– 15.268 हे0

क्र0	खसरा नं0	अर्जन हेतु रकवा हे0 में	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	2/क	0.437	उपमुख्य अभियंन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	सीधी–सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु।
2	2/ख		-,,-	-,,-
3	11/मिन-2	0.607	-,,-	-,,-
4	10	0.004	-,,-	-,,-
5	17	0.717	-,,-	-,,-
6	18	0.100	-,,-	-,,-
7	21	0.271	-,,-	-,,-
8	23	2.005	-,,-	-,,-

9	24	0.023	-,,-	-,,-
10	29	1.004	-,,-	-,,-
11	77	0.862	-,,-	-,,-
12	78	0.798	-,,-	-,,-
13	79	0.500	-,,-	-,,-
14	75	0.002	-,,-	-,,-
15	82	0.031	-,,-	-,,-
16	83	0.734	-,,-	-,,-
17	105	0.196	-,,-	-,,-
18	104	0.283	-,,-	-,,-
19	108	0.162	-,,-	-,,-
20	109	0.185	-,,-	-,,-
21	110	0.092	-,,-	-,,-
22	144	0.068	-,,-	-,,-
23	111	0.004	-,,-	-,,-
24	112	0.210	-,,-	-,,-
25	113	0.313	-,,-	-,,-
26	114/ मिन -2	0.040	-,,-	-,,-
27	124/1	0.849	-,,-	-,,-
28	124/2		-,,-	-,,-
29	125	0.014	-,,-	-,,-
30	126	0.041	-,,-	-,,-
31	127	0.091	-,,-	-,,-
32	123/ मिन -1	0.812	-,,-	-,,-
33	123/ मिन -2		-,,-	-,,-
34	122/ मिन -1	2.311	-,,-	-,,-
35	122/ मिन -2		-,,-	-,,-
36	122/ मिन -3		-,,-	-,,-
37	122/ मिन -4		-,,-	-,,-
38	116/ मिन -1	0.922	-,,-	-,,-
39	116/ मिन -2		-,,-	-,,-
40	116/ मिन -3		-,,-	-,,-
41	116/ मिन -4		-,,-	-,,-
42	116/ मिन -5		-,,-	-,,-
43	118/1/क	0.500	-,,-	-,,-
44	118/2/क		-,,-	-,,-
45	118/ख		-,,-	-,,-
46	118/ग		-,,-	-,,-
47	117	0.080	-,,-	-,,-
कुल योग–		15.268		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 513–भू–अर्जन–2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर–सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997–98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अधोलिखित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं रकबा के अर्जन के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.04.2017 को जारी अधिसूचना उपरांत दो वर्ष के अंतराल के अधीन पूरी कार्यवाही सम्पन्न नही होने से भूमि–अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 अन्तर्गत कार्यवाही की प्रभावशीलता व्यपगत हो जाने से पुनः धारा–11 अन्तर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

–: अनुसूची :–

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला :– सीधी

(ख) तहसील :– बहरी

(ग) ग्राम :– बेलहा

(घ) क्षेत्रफल :– **5.973 हे0**

क्र0	खसरा नं0	अर्जन हेतु रकवा हे0 में	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	759	0.052	उपमुख्य अभियंन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	सीधी–सिंगरौली नई रेल लाईन निर्माण हेतु।
2	760	0.026	-,,-	-,,-
3	761	0.017	-,,-	-,,-
4	733/1	0.020	-,,-	-,,-
5	733/2		-,,-	-,,-
6	762	0.253	-,,-	-,,-
7	732	0.016	-,,-	-,,-
8	730	0.006	-,,-	-,,-

9	731	0.010	-,,-	-,,-
10	726	0.126	-,,-	-,,-
11	725	0.029	-,,-	-,,-
12	696	0.015	-,,-	-,,-
13	701	0.044	-,,-	-,,-
14	699	0.010	-,,-	-,,-
15	700	0.027	-,,-	-,,-
16	693/1417	0.019	-,,-	-,,-
17	693	0.008	-,,-	-,,-
18	703	0.021	-,,-	-,,-
19	686/ मिन -1	0.027	-,,-	-,,-
20	686/ मिन -2		-,,-	-,,-
21	682/ मिन -1	0.027	-,,-	-,,-
22	682/ मिन -2		-,,-	-,,-
23	682/ मिन -3		-,,-	-,,-
24	682/ मिन -4		-,,-	-,,-
25	683/ मिन -1	0.024	-,,-	-,,-
26	683/ मिन -2		-,,-	-,,-
27	683/ मिन -3		-,,-	-,,-
28	683/ मिन -4		-,,-	-,,-
29	662/ मिन -1	0.022	-,,-	-,,-
30	662/ मिन -2		-,,-	-,,-
31	661	0.024	-,,-	-,,-
32	663/ मिन -1	0.017	-,,-	-,,-
33	663/ मिन -2		-,,-	-,,-
34	658	0.022	-,,-	-,,-
35	664	0.030	-,,-	-,,-
36	657	0.018	-,,-	-,,-
37	656	0.009	-,,-	-,,-
38	665	0.030	-,,-	-,,-
39	666	0.004	-,,-	-,,-
40	667	0.003	-,,-	-,,-
41	668/1	0.044	-,,-	-,,-
42	668/2		-,,-	-,,-
43	668/3		-,,-	-,,-
44	668/4		-,,-	-,,-
45	655	0.007	-,,-	-,,-
46	654/1	0.080	-,,-	-,,-
47	654/2		-,,-	-,,-
48	653	0.044	-,,-	-,,-
49	652	0.042	-,,-	-,,-
50	644	0.043	-,,-	-,,-
51	641	0.001	-,,-	-,,-
52	643	0.020	-,,-	-,,-
53	642	0.020	-,,-	-,,-
54	639/1	0.054	-,,-	-,,-
55	639/2		-,,-	-,,-
56	634	0.065	-,,-	-,,-
57	632	0.012	-,,-	-,,-
58	633	0.010	-,,-	-,,-
59	617/1	0.046	-,,-	-,,-
60	617/2		-,,-	-,,-
61	619/ मिन -1	0.014	-,,-	-,,-
62	619/ मिन -2		-,,-	-,,-

63	620/1	0.004	-,,-	-,,-
64	620/2		-,,-	-,,-
65	615	0.040	-,,-	-,,-
66	616	0.014	-,,-	-,,-
67	610	0.032	-,,-	-,,-
68	595	0.016	-,,-	-,,-
69	592	0.020	-,,-	-,,-
70	614	0.020	-,,-	-,,-
71	611	0.010	-,,-	-,,-
72	594	0.010	-,,-	-,,-
73	593	0.010	-,,-	-,,-
74	590/1	0.009	-,,-	-,,-
75	590/2		-,,-	-,,-
76	591	0.040	-,,-	-,,-
77	588	0.029	-,,-	-,,-
78	587	0.040	-,,-	-,,-
79	586	0.017	-,,-	-,,-
80	567	0.007	-,,-	-,,-
81	984	0.003	-,,-	-,,-
82	993	0.006	-,,-	-,,-
83	994	0.035	-,,-	-,,-
84	1001	0.048	-,,-	-,,-
85	1006	0.029	-,,-	-,,-
86	1002	0.040	-,,-	-,,-
87	1003	0.038	-,,-	-,,-
88	1004	0.067	-,,-	-,,-
89	1005	0.009	-,,-	-,,-
90	1026	0.139	-,,-	-,,-
91	1027	0.056	-,,-	-,,-
92	1032	0.033	-,,-	-,,-
93	1033	0.088	-,,-	-,,-
94	1034/1	0.015	-,,-	-,,-
95	1034/2		-,,-	-,,-
96	1034/3		-,,-	-,,-
97	1038	0.137	-,,-	-,,-
98	1037	0.022	-,,-	-,,-
99	1054	0.100	-,,-	-,,-
100	1053	0.050	-,,-	-,,-
101	1055/1	0.095	-,,-	-,,-
102	1055/2		-,,-	-,,-
103	1056	0.006	-,,-	-,,-
104	1052	0.170	-,,-	-,,-
105	1051	0.011	-,,-	-,,-
106	1064/1	0.547	-,,-	-,,-
107	1064/2		-,,-	-,,-
108	1064/3		-,,-	-,,-
109	1064/4		-,,-	-,,-
110	1064/5		-,,-	-,,-
111	1064/मिन-1		-,,-	-,,-
112	1065	0.045	-,,-	-,,-
113	1341	0.058	-,,-	-,,-
114	1340	0.030	-,,-	-,,-
115	1338	0.064	-,,-	-,,-
116	1339	0.035	-,,-	-,,-
117	1342	0.026	-,,-	-,,-

118	1069	0.754	-"-	-"-
119	1070	0.034	-"-	-"-
120	1343/1	0.300	-"-	-"-
121	1343/2		-"-	-"-
122	1351	0.404	-"-	-"-
123	1350	0.010	-"-	-"-
124	1349	0.026	-"-	-"-
125	1372	0.191	-"-	-"-
126	1373	0.214	-"-	-"-
127	1380	0.046	-"-	-"-
128	1378	0.046	-"-	-"-
129	1381	0.001	-"-	-"-
130	1377	0.001	-"-	-"-
131	1379	0.052	-"-	-"-
132	1384	0.002	-"-	-"-
133	1411	0.040	-"-	-"-
134	1409	0.002	-"-	-"-
135	698	0.010	-"-	-"-
136	697	0.006	-"-	-"-
137	702	0.026	-"-	-"-
138	613	0.020	-"-	-"-
139	612	0.010	-"-	-"-
कुल योग–		5.973		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 10120-भू-अर्जन-2-अ-82-2017-18-2019 हरदा, दिनांक 19 सितम्बर 2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 के अंतर्गत इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : –

(1) भूमि का वर्णन :–

(क) जिला– हरदा (ग) ग्राम– जामनिया

(ख) तहसील– हरदा (घ) क्षेत्रफल– निम्न सारणी अनुसार

ग्राम– जामनिया, प.ह.नं. 34, रा.नि.मं.– मगरधा

क्रं.	कृषक का नाम	खसरा नम्बर	अर्जनीय रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का स्वरूप निजि/सिंचित
1.	2.	3.	4.	5.
1	कल्पनाबाई पत्नि शिवशंकर	32/13		
2	गीताबाई पत्नि पतिराम	32/14	0.473	सिचिंत
3	सुमित्राबाई जोजे चम्पालाल	33/2	0.173	सिचिंत
4	चम्पालाल आ. मदन	33/3	0.345	सिचिंत
5	संतोष आ. भागीरथ	33/1	0.641	सिचिंत
कुल योग निजि भूमि			1.632	सिचित
1.	शासकीय नाला की भूमि	1	0.078	—
कुल योग निजि + शासकीय भूमि			1.710	—

(2) माचक उपनहर की चेन 87 से निकलने वाली स्केप चैनल के निर्माण हेतु ।

नोट :–

1. भूमि का नक्शा, प्लान एवं अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति का विवरण एवं मूल्यांकन आदि भू–अर्जन अधिकारी, हरदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके आवश्यकता है–माचक उपनहर की चेन 87 से निकलने वाली स्केप चैनल के निर्माण हेतु ।
3. सरकार की समुचित बेवसाईट www.harda.nic.in पर भी अपलोड़ किया गया है ।

अनुसूची

क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	डपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	उज्जैन	उज्जैन	ग्राम–गोयलाखुर्द	2/2	0.084
2				2/3	0.021
3				2/4	0.100
4				2/5	0.15
5				2/6	0.106
6				26/1	0.181
7				26/2/2/1/1	0.096
8				31/1/1/1	0.085
9				31/1/2/2	0.251
10				31/2/2	0.342
11				32/4	0.102
12				32/6	0.102
13				32/7	0.025
14				49/4/1/1	0.128
15				49/4/3	0.160
16				49/3	0.244
17				51/1/1	0.182
18				51/3/2	0.363
19				51/3/1	0.518
20				143/1	1.218
21				143/5	0.176
22				143/6	0.166
23				143/7	0.155
24				143/8	0.138
	Total				5.090

:अनुसूची::

क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	उज्जैन	उज्जैन	ग्राम–नानाखेड़ा	79,83/3	0.086
2				78,77/min-2	0.132
3				76,77	0.207
4				75	0.07
5				80/1/1	0.587
6				80/5/3	0.243
7				80/5/1/3	0.148
8				80/5/1/1	0.353
9				80/6/Min-1/Min-1	0.128
10				80/7/Min-1/Min-1	0.155
11				80/8/Min-1/Min-1	0.117
12				69/3	0.494
13				69/1	0.383
14				15/1/1, 15/1/2	0.084
15				15/2/2	0.120
16				14	0.031
17				10	0.512
18				7	0.020
19				6	0.012
20				4	0.305
21				3	0.113
					4.300

अनुसूची

क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
2	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	3677	0.048
3				3667/min2	0.075
4				3673	0.159
5				3674	0.143
6				3675	0.058
7				3672	0.042
8				3668/3 Min1	0.128
9				3671/1 Min 1	
10				3668/2	0.112
11				3669/Min-1	
12				3401	0.006
13				3392/1 Min-1	0.066
14				3392/3Min-1	
15				3392/1 Min-2	0.069
16				3392/3 Min-2	
17				3392/1 Min-3	0.069
18				3392/3 Min-3	
19				3392/1 Min-4	0.069
20				3392/3 Min-4	
21				3388/1	0.022
22				3386	0.022
23				3385	0.187
24				3384	0.025
25				3419	0.038
26				3420	0.067
27				3421	0.063
28				3422	0.24
29				3423	0.189
30				3369	0.019
31				3364	0.045
32				3367	0.043
33				3366	0.063
34				3365	0.15
35				2630/Min-2	0.128
36				2631/Min-2	
37				2632/Min-1	0.124
38				2631/Min-1	
39				2632/Min-2	0.107
40				2594/Min-3	
41				2595/min-3	
42				2594/min-1	0.087
43				2595/min-4	
44				2594 /min-2	0.086
45				2595/min-2	

46				2594/min-1	0.145
47				2595/min1	
48				2593	0.219
49				2596	
50				2597	
51				2590	0.264
52				2588	
53				2587	
54				2591	0023
55				2586	0120
56				2582	0.038
57				2583	
58				2585	0.089
59				2580	0.186
60				2578	
61				2579	
62				2581	
63				2584	0.008
64				2573/1	0.027
65				2577	0.037
66				2572/2 min-1	0.440
67				2569/Min-2	
68				2569/Min-3	0.075
69				2569/Min-1	0.072
70				2570/Min-1	0.012
71				2561/1/Min-1	0.084
72				2567	0.037
73				2565	0.002
74				2566	0.084
75				2564	0.031
76				2564	0.151
77				181/Min-1/Min-1	0.107
78				181/Min-1/Min-2	0.097
79				181/Min-2	0.089
80				180	0.063
81				179	0.113
82				176	0.465
83				175	
84				177	
85				164/4	0.178
86				163/2	
87				162/2	
88				160/3	
89				162/1	0.042
90				163/1	
91				159/1	0.08
92				160/1	
93				164/1	0.011
94				159/2	0.16
95				160/2	
96				157/2	0.146
97				158/2	
98				157/1	0.11

99				158/1	
100				164/2	
101				156	0.052
102				155/1	0.052
103				155/2	
104				152	0.026
105				153/1	0.169
106				154/2/3	0.158
107					0.103
108				150/Min-1	0.048
109				151/Min-1	
110				150/Min-2	0.088
111				151/Min-2	
112				94/1	
113				102/1/Min-2	
114				96	0.014
115				98/1	0.245
116				97	
117				95	
118				98/2	0.06
119				90	0.028
120				88	0.256
121				89	
122					
123				86	0.193
124				47	0.326
125				48	0.481
126				51/4	0.028
127				51/5	0.112
128				51/6/1	0.019
129				51/7/1	0.081
130				57/1	0.15
131				57/2	
132				51/8	0.091
133				53	0.022
134				51/7/2	0.048
135				58/2	0.025
136				58/3	0.215
137				64/1	0.019
138				64/2	11
139				64/3	0.22
140				64/4	
141				65	0.246
142				66	110
143				67	
144				77	0.53
145				78	
146				79	
147				76	0.107
148				80/1	0.112
149				75/6	0.112
150				81/2	0.145
151				75/5	
152				73/4	0.23
153				83/2	

154				75/4	0.075
155				73/3	0.128
156				83/1	
157				75/3	0.139
158				73/2	0.036
159				75/2	0.139
160				81/1	0.036
161				83/3	0.128
162				75/1	
163				73/5	
164				73/1	0.192
165				72/6	
166				82	0.021
			कुल योग	163	131.26

::अनुसूची::

क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	उज्जैन	उज्जैन	ग्राम–मोजमखेड़ी	196	0.141
2				198	0.004
3				197	0.153
4				205	1.016
5				206	0.031
6				207	0.006
7				208	0.075
8				209	0.038
9				183	0.400
10				181/2	0.212
	TOTAL				2.076

::अनुसूची::

क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसर क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	उज्जैन	उज्जैन	ग्राम–भैरवगढ़	87/3	0.170
2				88/1/1 88/1/2 97/1/1 97/1/3	0.237
3				88/2 95/1/4 95/1/2 90/1, 89	0.237
4				91, 90/2 92/1, 95/2	0.239
5				93/1/1 94/1/1 97/2/1	0.237
6				93/2, 94/2, 97/5	0.237
7				143/1/1 142/1/1	0.096
	TOTAL				1.45

जगदीश मेहरा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 9 सितम्बर 2019

प्र. क्र. 0001-अ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. तीन, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	इटारसी	कास्दाखुर्द	0.984	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी.	इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता—इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम कास्दाखुर्द.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0002-अ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. तीन, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	इटारसी	ताकू	0.642	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी.	इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता—इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम ताकू.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0003-अ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अत: भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. तीन, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	इटारसी	सहेली	0.142	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी.	इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता—इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम सहेली.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0005-अ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अत: भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. तीन, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	इटारसी	कीरतपुर	0.071	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी.	इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता—इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम कीरतपुर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0009-अ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अत: भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. तीन, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के

खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	इटारसी	डांडीवाडा	0.063	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी.	इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता—इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम डांडीवाडा.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 सितम्बर 2019

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-19-20 पत्र क्र. 388-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	हरनामपुर	0.044	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-7 सतना (म. प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के सोनवारी डिस्ट्रीब्यूटरी निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-19-20 पत्र क्र. 389-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा

या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उंचेहरा	पथरहटा	0.630	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-7 सतना (म. प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-19-20 पत्र क्र. 390-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उंचेहरा	गोबरांवकला	0.167	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-7 सतना (म. प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-19-20 पत्र क्र. 391-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उंचेहरा	रमपुरवा	0.036	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-7 सतना (म. प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 26 अगस्त 2019

क्र. 8604-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—गुराड़िया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.150 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
16	0.150
योग . .	0.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लबरावदा-गरडावद-बिलोदा-तीसगांव-खेरोद मार्ग के पुनर्निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग, धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8606-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—तीसगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.060 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
324	0.060
योग . .	0.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लबरावदा-गरडावद-बिलोदा-तीसगांव-खेरोद मार्ग के पुनर्निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग, धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8608-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—बिलोदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.282 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
437/1/1	0.052
52/1	0.028
53	0.370
52/2/2	0.040
50/2	0.060
50/1	0.035
48/2/1/1	0.152
48/2/3	0.038
48/2/2	0.190
48/2/1/2	0.028

(1)	(2)
48/3	0.114
37	0.044
23/2	0.088
36	0.035
71/1	0.040
71/2	0.060
72	0.114
73	0.114
86	0.126
87/1	0.028
87/2	0.028
113	0.048
104/1	0.020
104/2	0.030
110/1/1	0.035
163	0.198
164	0.092
156/1	0.032
156/2	0.008
110/1/2	0.035
योग . .	2.282

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लबरावदा-गरडावद-बिलोदा-तीसगांव-खेरोद मार्ग के पुनर्निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग, धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8612-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—खेरोद

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.010 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
466	0.010
योग . .	0.010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लबरावदा-गरडावद-बिलोदा-तीसगांव-खेरोद मार्ग के पुनर्निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग, धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8614-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—लबरावदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.042 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
160/3/2	0.021
160/3/1	0.021
योग . .	0.042

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लबरावदा-गरडावद-बिलोदा-तीसगांव-खेरोद मार्ग के पुनर्निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग, धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 अगस्त 2019

पत्र क्र. 862-प्रवा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमियों की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—ब्यौहारी
(ग) ग्राम—जमुनी
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.600 हेक्टेयर.

खसरा नं.	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1481	0.077
1482	0.409
1483	0.065
1553/1	0.049
योग . .	0.600

रीवा, दिनांक 5 सितम्बर 2019

पत्र. क्र. 906-प्रका-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवाँ
(ग) ग्राम—कंदैला पैपखार
(घ) क्षेत्रफल—0.081 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्येटर में) निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
819	0.041	-
1029	0.040	-
योग :	0.081	
(ब) शासकीय भूमि		
	-	निरंक
महायोग . .	0.081	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की नेबूहा वितरक नहर की कंदैला माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 13 सितम्बर 2019

पत्र. क्र. 930-प्रका-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवाँ
(ग) ग्राम—अटारी-574, क
(घ) क्षेत्रफल—0.054 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
359	0.025
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.025
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
354	0.029
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.029
अ+ब का योग . .	0.054

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—"शीर्ष कार्य पम्प हाउस निर्माण" में आने ~~वाली~~ निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र. क्र. 932-प्रका-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवाँ
(ग) ग्राम—रघुराजगढ़-574
(घ) क्षेत्रफल—0.188 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
660	0.082
1387	0.106
अ—निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.188
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ +ब का योग . .	0.188

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—"शीर्ष कार्य पम्प हाउस निर्माण" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर दिनांक 1 सितम्बर 2019

प्र. क्र. 2अ-82 वर्ष-2018-19.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बुरहानपुर
(ख) तहसील—खकनार
(ग) ग्राम—डबालीखुर्द
(घ) अर्जित रकबा—21.44 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जनीय रकबा (हे. में) (2)
405/1ब	0.320
405/2	0.350
405/3	0.300
408	0.320
410	1.600
411	0.540
412	0.720
413	1.250
415/1	0.390
415/2	0.800
415/3	0.400

(1)	(2)
420/1	0.640
420/2	0.700
420/3	0.700
421	0.600
422/1	0.970
422/2	2.000
422/3	3.200
422/4	0.810
424	3.330
425	0.700
430/1	0.400
430/2	0.400
योग . .	21.44

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बुरहानपुर

(ख) तहसील—खकनार

(ग) ग्राम—डबालीकलां

(घ) अर्जित रकबा—47.160 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जनीय रकबा (हे. में)
(1)	(2)
16/1	2.910
16/2	0.810
16/3	0.810
16/4	0.300
17/1	1.600
17/2	1.910
20/1	0.300
20/3	0.600
20/2	0.100
21/1	0.400
85/2	0.400
24/2	0.280
85/1	1.600
22	0.840
23	1.080
86	1.610
24/1	0.100
24/3	0.300
25/1	0.100
25/2	0.200
25/3	1.200
26	0.800
38	0.890
34	0.200
82	0.420
39	1.060
40	0.040
41	0.090
47	0.200
48	0.940
51	0.570
72	0.400
53	0.360
71	0.300
54	0.600
57	0.300
59	0.800
62	0.400
64	0.220
65	0.100
66	0.500
67	0.800
68/1	0.550
68/2	0.210
69	0.100
70	0.400
74	0.900
76	0.300
77	0.560
78	0.420
80	0.200
84	0.600
85/3	3.500

(1)	(2)
87	0.600
89/7	0.450
89/1	0.700
89/2	0.500
89/3	0.800
89/4	0.500
89/5	0.800
89/6	0.940
90/1	0.300
90/2	0.300
92	0.140
90/3	0.600
112	0.100
121	0.200
122/2	0.700
122/3	1.400
122/4	0.200
123/1	1.000
123/2	0.200
123/4	0.200
125	0.300
140/1	0.100
143/2	0.200
143/3	0.200
143/4	0.100
143/6	0.050
143/162	0.400
योग . .	47.160

(2) सार्वजनिक प्रयोजन भगतबाबा स्टोरेंज तालाब क्र. 1 योजना के निर्माण एवं डूब हेतु जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर कार्यालय में किया जा सकता है.

बुरहानपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2019

भू-अर्जन-प्र. क्र. . .भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अन्तर्गत रिर्पोट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बुरहानपुर
(ख) तहसील—खकनार
(ग) ग्राम—करदली
(घ) अर्जित रकबा—17.44 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जनीय रकबा (हे. में)
(1)	(2)
30	1.55
31	1.00
32/3	0.60
32/4	0.40
86/1	0.60
86/2	0.30
86/3	0.20
87/1	1.25
87/2	1.25
87/3	1.60
88/1	2.36
88/2	0.80
89/1	0.83

(1)	(2)
89/2	1.60
89/4	0.40
91/1	1.00
91/2	0.80
91/3	0.50
93/5	0.40
योग . .	17.44

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बुरहानपुर

(ख) तहसील—खकनार

(ग) ग्राम—सावली

(घ) अर्जित रकबा—1.60 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जनीय रकबा (हे. में)
(1)	(2)
115	1.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन करदली स्टोरेज तालाब (बिना नहर) योजना के निर्माण एवं डूब हेतु जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बुरहानपुर कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार कौल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 16 सितम्बर 2019

क्र. 383-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम—सोनौरा चेक उतैली

(घ) क्षेत्रफल—0.085 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
115/3/1	0.085
कुल रकबा . .	0.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सतना-मैहर बाईपास सड़क निर्माण में प्रभावित होने से.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 17 सितम्बर 2019

क्र. 392-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—उचेहरा

(ग) नगर/ग्राम—इचौल

(घ) क्षेत्रफल—0.100 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
951/1	0.100
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	0.100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 सितम्बर 2019

क्र. 7291-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—मोहखेड

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-जाखावाडी, प.ह.नं.-72, ब. नं.-196, रा. नि. मं.-इकलबिहरी

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल— कुल रकबा-01.162 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
50	0.510
52/1	0.002
49/1	0.070
47	0.060
49/2	0.070
49/3	0.070
45/2	0.040
52/2	0.340
कुल रकबा. .	01.162

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—जाखावाडी जलाशय के नहर रहित बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp. gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, उपसंभाग सौंसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्र. B-5053-दो-2-40-2019.—श्री अमिताभ मिश्रा, रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 4 से 5 अक्टूबर 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 से 10 अक्टूबर 2019 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अमिताभ मिश्रा, रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमिताभ मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (परीक्षा) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6294-दो-2-23-2017.—श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 11 से 12 अक्टूबर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 से 10 अक्टूबर 2019 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6296-दो-3-32-2006.—श्री एस. एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह के दिनांक 11 से 12 अक्टूबर 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 से 10 अक्टूबर 2019 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6298-दो-2-38-2019.—श्री प्रभात कुमार मिश्रा, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 22 जुलाई 2016 से 21 जुलाई 2018 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6300-दो-2-102-2017.—श्री हृदेश, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2019

क्र. D-6317-दो-2-18-2016.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 31 जुलाई 2019 का, दिनांक 7 अगस्त 2019 का, दिनांक 10 अगस्त 2019 का, दिनांक 14 अगस्त 2019 का, दिनांक 21 अगस्त 2019 का, दिनांक 24 अगस्त 2019 का तथा दिनांक 28 अगस्त 2019 का कुल सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6319-दो-2-53-2014.—श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 11 से 14 सितम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6321-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 16 से 17 सितम्बर 2019 तक दो दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6323-दो-2-3-2018.—श्री राजवर्धन गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 3 सितम्बर 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6325-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 25 से 27 सितम्बर 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 एवं 29 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6327-दो-2-27-2014.—श्री पंकज गौड़, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 16 से 20 सितम्बर 2019 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री पंकज गौड़, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पंकज गौड़, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6329-दो-2-49-2013.—श्री के. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दिनांक 3 से 5 अक्टूबर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2019

क्र. D-6272-दो-2-57-2012.—श्री यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 7 से 20 सितम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री यू. एस. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस., के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार,
अजय पवार, रजिस्ट्रार.